



संस्कृत

# लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

2020

# लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

2020




## प्रस्तावना

05 अगस्त 2020

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मैं इस टिप्पणी के साथ लेखापरीक्षा तथा लेखा (संशोधन) विनियम 2020 को सूचित कर रहा हूँ। पिछले कई माह में और विभिन्न स्तरों पर परामर्श की गहन प्रक्रिया के बाद विनियमों का अद्यतन किया गया है और पिछले दशक में लेखापरीक्षा तथा लेखा में हमारे कार्यों के निर्वहन में हमारे अनुभव के साथ सस्पेंडित करके कुछ भागों में संशोधन किया गया है।

संशोधन में सूचना प्रौद्योगिकी पर्यावरण में लेखापरीक्षण पर बल दिया गया है चूंकि यह आज हमारी लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है। तथापि इसी समय में अभिलेखों, डाटा और सूचना प्रणाली के अभिगम ने लेखापरीक्षा को निरंतर प्रभावित किया है। इन मामलों को संशोधन में उचित प्रमुखता दी गयी है और यह आशा की गई है कि इन मामलों को पहले अभिस्वीकृत करके और डेटा तथा सूचना तक अभिगम के लेखापरीक्षा के अधिकार का दावा करके यह सरकार और अन्य लेखापरीक्षणीय सत्त्वों का उचित ध्यान आकृष्ट करेगा और इससे पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयों ने भी डीपीसी एक्ट के प्रावधानों को गहराई से देखा है और परिणामस्वरूप हमारे अधिदेश की व्याख्या की है। तदुसार कुछेक विनियमों में न्यायालयों द्वारा की गयी इस व्याख्या को दर्शाया गया है। अन्ततः लेखापरीक्षा को सुकर बनाने के लिए अन्य छोटे परन्तु महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ, मुझे आशा है कि अब संशोधित किए गए विनियम हमारी स्थिति को अच्छा बनाएंगे जैसा कि उन्होंने इन सभी वर्षों में किया जब वे हमारे अधिदेश की व्याख्या करने और हमारे कार्यकलापों में सहयोग देने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



# विषय सूची

## लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन) 2020

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
	प्रस्तावना	
1	प्रारंभिक	1
2	अधिदेश तथा कार्यक्षेत्र	7
3	सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में लेखापरीक्षा	12
4	लेखापरीक्षा हेतु अभिगम का अधिकार और लेखापरीक्षणीय सत्व की जिम्मेदारियां	16
5	व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा	19
6	वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये व्यापक रूपरेखा	29
7	सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा	33
8	निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	41
9	पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका	52
10	लेखापरीक्षण मानक के मार्गदर्शन सिद्धांत	55
11	लेखापरीक्षा आयोजना, लेखापरीक्षा का संचालन और रिपोर्टिंग	57
12	लेखापरीक्षा परिणामों का अनुवर्तन	63
13	लेखापरीक्षा साक्ष्य	68
14	सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्त	70
15	विशेष प्रावधान	73



नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्या 56) की धारा 23 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, नामतः

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

#### 1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग और प्रारम्भ

- (1) ये विनियम 'लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन) 2020' कहे जाएंगे।
- (2) ये विनियम भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों और स्टाफ तथा संघ सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा निकायों, प्राधिकरणों और उद्यमों, जिन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अथवा लेखा क्षेत्राधिकार लागू होता है, पर लागू होंगे।
- (3) ये विनियम जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

#### 2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

- (1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के किसी लेखा कार्यालय का विभागाध्यक्ष चाहे उसका कोई भी पदनाम हो;
- (2) **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के किसी लेखापरीक्षा कार्यालय का विभागाध्यक्ष चाहे उसका कोई भी पदनाम हो;
- (3) **लेखा कार्यालय** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का एक ऐसा कार्यालय जो लेखे रखने के लिए उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों अथवा विभागों द्वारा भेजे गए प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से लेखाओं के संकलन के लिए और सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में हकदारी कार्य के लिए उत्तरदायी हो;
- (4) **लेखा अधिकारी** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं अथवा हकदारी अथवा सम्बन्धित कार्य के लिए एक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;
- (5) **अभिगम** से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है कंप्यूटर, कंप्यूटर

प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में और भौतिक अभिगम सहित प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत, अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना;

(6) **अधिनियम** का तात्पर्य है नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्या 56);

(7) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ **किसी अन्य कंपनी** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 में उल्लिखित कंपनी से है जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कोई अन्य कंपनी, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 में आती है उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(27) में 'नियंत्रण' की परिभाषा के साथ पढ़ा जाए।

(8) **लेखापरीक्षा** का तात्पर्य है लेखाओं, संव्यवहारों, अभिलेखों, डेटा, सूचना तथा दस्तावेजों की जांच जो भारत के संविधान और अधिनियम में यथा निर्धारित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हो और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित निष्पादन लेखापरीक्षा अथवा किसी अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा शामिल है। जब संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तब यह पूरे लेखापरीक्षा विभाग अथवा संदर्भ के अनुसार इसके किसी भाग के लिए संदर्भित है;

(9) **लेखापरीक्षा बोर्ड** का तात्पर्य लेखापरीक्षा बोर्ड से है जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गठित किया गया है;

(10) **लेखापरीक्षा विभाग अथवा लेखापरीक्षा संस्थान** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय जो भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हों;

(11) **लेखापरीक्षा कार्य** में वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा, या इन के संयोजन में या तो प्रमाणिक कार्यों या प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग कार्यों की प्रकृति वाली पृथक लेखापरीक्षा समनुदेशन है।

(12) **लेखापरीक्षणीय सत्त्व** का तात्पर्य है अपने कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कम्पनी, निगम, निधि अथवा कोई अन्य सत्त्व सहित संघ अथवा राज्य सरकार जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्वधीन हो; जहां शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्त्व, लेखापरीक्षा इकाईयों तथा कार्यान्वयन इकाईयों में वर्गीकृत किया गया है;

(i) **शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्त्व** का तात्पर्य, परन्तु यह सीमित नहीं है, महालेखाकार की लेखापरीक्षा अधिकार के अधीन प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्य के संबंध में सरकार में उच्च प्राधिकारी है उदाहरणतः मंत्रालय या विभाग के प्रमुख। ये शीर्ष सत्त्व नीति निर्धारण तथा दूरदृष्टि के संबंध में लेखापरीक्षा इकाई तथा

कार्यान्यवन ईकाईयो के उत्तरदायित्व से अलग है। तथापि, कुछ मामलों में, लेखापरीक्षा ईकाइयों के रूप में कुछ सत्व (उदाहरणतः बोर्ड, निकाय या प्राधिकारी, सरकारी कम्पनियां, निगम इत्यादि) एक विशिष्ट कार्य के संबंध में एक शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व की आवश्यक योग्यताएं रखता है।

(ii) **लेखापरीक्षा ईकाई** से तात्पर्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा श्रेणीगत तथा अभिज्ञापित ईकाईयां हैं जिनमें निम्न गुण शामिल हैं- प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का पर्याप्त अंतरण, शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व के उद्देश्यों के संबंध में परिचालन महत्व तथा कार्य स्वायत्तता।

(iii) **कार्यान्यवन ईकाई** से तात्पर्य सरकार/शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व के अंतिम सेवा प्रदाता, सत्वों, कार्यालयों तथा कार्यान्यवन इकाई है।

(13) **लेखापरीक्षा अधिदेश** का तात्पर्य है भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार और इसमें अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा सौंपी गई लेखापरीक्षा शामिल है;

(14) **लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों** से तात्पर्य एक लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक संप्रेषण है, जिसमें वित्तीय अथवा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी किए गए लेखाओं पर टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा परिणाम निहित है। इसमें मानदंडों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा में दिए गए साक्ष्य के पर्याप्त विवरण, लेखापरीक्षा निष्कर्ष और जहां लागू हो, सिफारिशें शामिल होंगी;

(15) **लेखापरीक्षा कार्यालय** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कोई कार्यालय;

(16) **लेखापरीक्षा अधिकारी अथवा लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए एक सामान्य अथवा एक विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(17) **लेखापरीक्षा पूछताछ** से तात्पर्य लेखापरीक्षा द्वारा तथ्यों की पुष्टि अथवा प्राप्त परिणाम अथवा लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित किसी स्पष्टीकरण के लिए लेखापरीक्षा के दौरान जारी किया गया एक संप्रेषण है;

(18) **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत अथवा अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत अथवा संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से है;

(19) **लेखापरीक्षा अधिग्रहण** से तात्पर्य लेखापरीक्षा के द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले आंकड़े, दस्तावेजों एवं सूचनाओं का अनुरोध करने के लिए जारी किया गया एक संप्रेषण है;

- (20) **लेखापरीक्षण मानकों** का तात्पर्य जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों से है;
- (21) **लेखापरीक्षा दल मार्गदर्शक/पर्यवेक्षी अधिकारी** से तात्पर्य एक ऐसा अधिकारी है जो लेखापरीक्षा के लिए तैनात किए गए एक लेखापरीक्षा दल का प्रभारी हो;
- (22) **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक** का तात्पर्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, से है;
- (23) **डेटा** से सूचना, जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण अभिप्रेत है जिन्हें एक निश्चित रीति से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किए जाने के लिए आशयित है, संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है और जो किसी रूप में (जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रिन्टआउट, चुम्बकीय या प्रकाशीय भंडारण मीडिया, छिद्रित कार्ड, छिद्रित टेप हैं) या कंप्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से भंडारित हो सकता है; इन विनियमों के उद्देश्यों हेतु, डेटा, सूचना और दस्तावेजों में संव्यवहारों, अभिलेखों, बहियों, लेखाओं, कागजात आदि को शामिल किया जाएगा ताकि जो भी डेटा, सूचना और दस्तावेज लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा अनुरक्षित है उसका व्यापक रूप से समाधान किया जा सके;
- (24) **ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** से तात्पर्य लेखापरीक्षा के परिणामों की सूचना से है और इन्हें ड्राफ्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कहा जाएगा जिसमें संदर्भानुसार वित्तीय या अनुपूरक लेखापरीक्षा या किसी अन्य लेखापरीक्षा के परिणाम बताए जाएंगे;
- (25) सूचना के संदर्भ में **इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप** का तात्पर्य मीडिया, मेगनेटिक, ऑप्टिकल, कम्प्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कम्प्यूटर द्वारा सृजित माइक्रो फिशे और समान यंत्र में सृजित, भेजी गई, प्राप्त या संचित कोई सूचना है;
- (26) **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख** का तात्पर्य किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रो फिल्म या कम्प्यूटर द्वारा सृजित माइक्रो फिशे में भंडारित, प्राप्त या भेजे गए डेटा, अभिलेख या सृजित, डेटा चित्र या ध्वनि से है;
- (27) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ **हकदारी** का तात्पर्य वेतन, भविष्य निधि अथवा पेंशन सम्बन्धी कार्य और सम्बन्धित कार्य से है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को करने होते हैं;

- (28) **सरकार** का तात्पर्य है संघ सरकार, एक राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो;
- (29) सरकारी कम्पनी से तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत यथा परिभाषित सरकारी कंपनी से है;
- (30) **निर्देशन टिप्पणियों** को लेखापरीक्षा निष्पादन बढ़ाने में सहायता करने, विशिष्ट विषयवस्तु या लेखापरीक्षा तकनीक या कार्यपद्धति आदि को समझने के लिए दिशानिर्देशों के समर्थन हेतु जारी किया जाता है ये सामान्यतः सिफारिशी प्रकृति की होती है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।
- (31) **मार्गनिर्देश सिद्धांत** वे मार्गनिर्देश सिद्धांत हैं जो अधिदेश को लागू करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए हैं। ये सामान्यतया व्यावसायिक मामलों पर होते हैं। मार्गनिर्देश सिद्धांत इन विनियमों, स्थाई आदेशों तथा लेखापरीक्षण मानकों के साथ संगत होने आवश्यक हैं और लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखा अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन आवश्यक है;
- (32) **सूचना** का अर्थ है किसी रूप में कोई सामग्री जिसमें अभिलेख, संव्यवहार, दस्तावेज, मीमो, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, पेपर्स, नमूना, मॉडल, डेटा या अन्य सामग्री जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हो और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित सूचना जिस पर वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है।
- (33) **निरीक्षण रिपोर्ट** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट जिसमें लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हो;
- (34) **स्थानीय निधि लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षक, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, पंचायती राज संस्थानों और/अथवा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सामान्यतया एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;
- (35) **प्रमुख अनियमितता** से तात्पर्य है (क) लेखापरीक्षा में पता चली संदिग्ध महत्वपूर्ण धोखाधड़ी अथवा सांठ-गांठ अथवा भ्रष्टाचार का दृष्टांत अथवा (ख) गम्भीर स्वरूप की अनियमितता जिसमें सार्वजनिक निधियां शामिल हों विशेषकर जो कुप्रबन्धन, हानि, अपशिष्ट, निरर्थक व्यय अथवा राजस्व की हानि, आंतरिक नियंत्रण की गंभीर विफलता/उल्लंघन आदि से संबंधित हो;
- (36) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के **अधिदेश** का तात्पर्य है वह प्राधिकार जो भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखाओं और लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उनमें विहित हो;

(37) **प्रीक्टिस नोट्स** लेखापरीक्षा और लेखाकरण मामलों पर विस्तृत अनुदेश हैं। इनका नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विनियमों, स्थायी आदेशों, लेखापरीक्षण मानकों और मार्गनिर्देशों से संगत होना आवश्यक है;

(38) **अभिलेख** का अर्थ है (क) कोई दस्तावेज, हस्तलिपि और फाईल; (ख) कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच और एक दस्तावेज की अनुलिपि; (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म (चाहे विस्तृत रूप में हो या नहीं) में लगायी गयी इमेज या इमेजों का कोई पुनः प्रस्तुतीकरण; और (घ) एक कम्प्यूटर या किसी अन्य डिवाइस द्वारा प्रस्तुत की गयी कोई अन्य सामग्री;

(39) **पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां दी गई हों चाहे वह विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हों अथवा न हों;

(40) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के **स्थायी आदेश** प्रशासनिक मामलों पर आदेश सहित स्थायी स्वरूप के वे आदेश हैं जो अधिदेश को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं। इन्हें इन विनियमों के संगत होना आवश्यक है और लेखा अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन आवश्यक है;

(41) **सांविधिक लेखापरीक्षक** से तात्पर्य एक लेखापरीक्षक अथवा एक लेखापरीक्षण फर्म से है जिसे सरकारी कम्पनी अथवा किसी अन्य कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है;

इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु यहां परिभाषित न की गई सभी अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः संविधान में अथवा अधिनियम में दिया गया है। अधिगम, डेटा, सूचना, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड, रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक प्रारूप की परिभाषाएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 के अनुसार है।

### 3. लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश

संघ और राज्यों, सरकारी कम्पनियों और निगमों, निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश संविधान और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में निर्दिष्ट किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी हैं जिन्हें संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13, (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के अन्तर्गत संघ और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों तथा अन्य संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कर्तव्य है।

संविधान के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा भी शामिल की गई है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद या राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

### 4. लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य

लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन और लोक प्रशासन की वैधानिकता, वैधता, नियमितता, औचित्य, मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता की जांच करना है।

### 5. लेखापरीक्षा के प्रकार

लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करने के लिए, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अग्रलिखित मुख्य प्रकारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

(1) वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करती है कि क्या सत्व के वित्तीय विवरण और सूचना सभी संदर्भों में उचित रूप से तैयार, पूर्ण की गई है और निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग और विनियामक प्रारूप के अनुसार पर्याप्त प्रकटनों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं; और लेखापरीक्षक को यह मत व्यक्त करने में कि क्या वित्तीय विवरण और सूचना सत्व की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथन रहित है, सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त और उचित प्रमाण प्रदान करता है।

(2) अनुपालन लेखापरीक्षा, जो कि स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या प्रदत्त विषय-वस्तु (किसी सत्त्व या सत्त्वों के समूह के संबंध में गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय संव्यवहार, सूचना) में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि और सुदृढ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचार को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में अनुपालन किया गया है।

(3) निष्पादन लेखापरीक्षा जो कि स्वतंत्र, उद्देश्यात्मक, विश्वसनीय जांच है कि क्या सरकारी सत्त्व, संस्थान, संचालन, कार्यक्रम, निधि, गतिविधियां (इनके इनपुटों, प्रोसेस, आउटपुट, परिणाम और प्रभाव सहित) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के सिद्धांतों के अनुसार प्रचालन कर रहे हैं और क्या सुधार की कोई गुंजाईश है।

(4) वे लेखापरीक्षाएं भी की जाती हैं जो वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के सभी या कुछ पहलुओं का संयोजन हैं।

## 6. लेखापरीक्षा की रूपरेखा

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से की जाने वाली सभी लेखापरीक्षाएं भारत के संविधान और अधिनियम के अनुसार होगी। ऐसी लेखापरीक्षाओं का आयोजन इन विनियमों, लेखापरीक्षण मानकों, स्थायी आदेशों, लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रारूप, नीति-संहिता, दिशा-निर्देशों, नियम पुस्तकों, मार्गदर्शक टिप्पणियों, प्रैक्टिस नोट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये अन्य निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त सूचीबद्ध दस्तावेज नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे और नवीनतम स्थिति दर्शाने के लिए नियमित रूप से अद्यतित किए जाएंगे।

## 7. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और सीमा

(1) अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान किया गया है कि लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऐसा प्राधिकार यह सुनिश्चित करने कि लेखापरीक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, से इतर किसी विचार तक सीमित नहीं होगा।

(2) लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को लेखापरीक्षा के प्रकार और लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप परिभाषित किया जाएगा और इसमें लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन शामिल हो सकता है। ऐसा मूल्यांकन या तो लेखापरीक्षा के एक अभिन्न घटक के रूप में या एक विशेष लेखापरीक्षा समनुदेशन के रूप में किया जा सकता है।

(3) इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करने के लिए और लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी संव्यवहार, कार्यविधि, कार्यक्रम, योजना, संगठन या सत्त्व के लिए, पूर्ण और प्रासंगिक दोनों, की अन्य लेखापरीक्षा करने का निर्णय ले सकते हैं।

(4) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा की सीमा निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें कवरेज की अवधि, लेखापरीक्षणीय सत्त्व की इकाईयां, नमूना चयन की सीमा, यदि नमूना चयन किया गया है और लेखापरीक्षा पृछताछ की सीमाओं सहित लेखापरीक्षा की मात्रा शामिल होती हैं।

(5) अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जब परिस्थितियां ऐसा उचित ठहराएं, किन्हीं लेखाओं अथवा संव्यवहारों की श्रेणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को अभिमुक्त कर सकते हैं और ऐसे लेखाओं अथवा संव्यवहारों के सम्बन्ध में ऐसी सीमित जांच, जैसी वह अवधारित करें, लागू कर सकते हैं।

## 8. लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्राधिकार

अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि

(1) संघ के या किसी राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के नियंत्रणाधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है;

(2) यह अपेक्षा करें कि कोई लेखे, खाते, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हो या उनका आधार हो या अन्यथा उन संव्यवहारों से सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाएं जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे;

(3) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है या ऐसी टीका-टिप्पणी कर सकता है जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांग सकता है जिसकी उसे किसी ऐसे लेखा या रिपोर्ट की तैयारी के लिये आवश्यकता हो जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है;

(4) किसी कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, जानकारी के लिये किये गये सभी अनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर और समुचित शीघ्रता से पूरा करेगा।

## 9. लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की भूमिका और शक्तियां

संविधान में प्रतिष्ठापित, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारिणी के पास नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश और इसके क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश करने की कोई शक्तियां नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यकारिणी के किन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा करने, आशोधित करने, लेखापरीक्षा करने से रोकने, लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को छिपाने या आशोधित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

तथापि, यह लेखापरीक्षा के लिए मामलों का प्रस्ताव करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुरोध करने से प्रतिबाधित नहीं करता। इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा।

#### 10. प्रबन्धन समितियों में सहभागिता

लेखापरीक्षकों को सामान्यतः प्रबन्धन समितियों का सदस्य नहीं बनना चाहिए जिनके विचार स्थापना, प्रशासन, बजट आबंटन, परियोजना चयन, परियोजना क्रियान्वयन आदि के मामलों में कार्यकारी निर्णय में सहायता कर सकते हैं। उपरोक्त के किसी अपवाद के मामले में किसी ऐसी समिति की सदस्यता की स्वीकृति या इसकी चर्चा में भाग लेने से पूर्व उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कार्मिक प्रभारी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

यदि परामर्श दिया जाना है तो इसे उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा परामर्श अथवा सिफारिश के रूप में सूचित किया जाना चाहिए और इसकी अभिस्वीकृति स्पष्टतः इसी प्रकार दी जानी चाहिए। ऐसा लेखापरीक्षा परामर्श या सिफारिश लेखापरीक्षक को परामर्श दिए गए मामले पर लेखापरीक्षा करने या उससे सम्बन्धित अभ्युक्तियां करने के अधिकार से वंचित नहीं करता।

#### 11. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ मामलों पर परामर्श

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाकरण मानकों और नीतियों तथा लेखाओं/वित्तीय विवरणों के प्रारूप जैसे मामलों में कार्यकारिणी को सलाह देगा (विशेषतः परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निर्दिष्ट परामर्श तक सीमित नहीं है)।

#### 12. बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ की नियुक्ति

(क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जहां सुसंगत और आवश्यक हो, आंतरिक लेखापरीक्षकों, अन्य लेखापरीक्षकों और विशेषज्ञों के कार्य को उपयोग कर सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक लेखापरीक्षा या लेखा कार्य करने में या उत्तम पद्धतियों से सीखने में बाह्य स्रोतों से विशेष निपुणता का भी उपयोग कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध कराने या विशेष कार्य करने में सम्बद्ध हो सकते हैं।

(ख) तथापि, लेखापरीक्षा बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ के कार्य के आधार पर निरूपित विचारों या निकाले गए निष्कर्षों या अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के लिए उत्तरदायी होगी।

#### 13. विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्दर एक कार्यक्रम, परियोजना या संगठन की विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध पर उचित विचार करेगा बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक अनुरोध:

(क) सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव के अनुमोदन से किया गया है;

(ख) उस औचित्य और कारणों का उल्लेख करेगा जिससे किसी प्रारंभिक पूछताक्ष, जांच या अध्ययन, जो पहले किया गया हो, के परिणामों सहित विशेष लेखापरीक्षा की आवश्यकता अनुभव की गयी हो; और

(ग) विशेष लेखापरीक्षा में कवर की जाने वाली अवधि निर्दिष्ट की जाए।

(2) विशेष लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

#### **14. विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम सूचित करना**

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव को सूचित करेगा और एक राज्य या विधान सभा वाले एक संघ राज्य क्षेत्र के मामले में इन परिणामों को सरकार, वित्त विभाग के सचिव को भी सूचित करेगा।

(2) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को सूचित करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनको शामिल करने का अधिकार है।

#### **15. सभी मामलों में सामान्य अथवा आम विनियम लागू होना**

सामान्य अथवा आम विनियम सभी मामलों में लागू होंगे बशर्ते कि इन विनियमों में विशिष्ट अध्यायों में विशेष प्रावधान किए जाएं।

### 16. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) वातावरण में लेखापरीक्षण

(1) लेखापरीक्षा, चाहे; वित्तीय, अनुपालन या निष्पादन लेखापरीक्षा हो, ये आजकल अधिक से अधिक आईटी वातावरण में की जा रही हैं। सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र सत्वों ने अपनी विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की कार्य प्रणाली और सुपुर्दगी में कुशलता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाया है। आईटी ने सूचना को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने, स्टोर करने, प्रसंस्कृत करने, पुनः प्राप्त करने और देने को संभव बनाया है और कई मामलों में सार्वजनिक सेवाओं का सुपुर्दगी का तरीका तीव्र गति से भौतिक रूप से इलैक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित हो रहा है।

(2) आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा निम्नलिखित में से एक या दोनों को कवर करती है:

(i) आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा या आईटी लेखापरीक्षा

(ii) लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए विभिन्न आईटी टूल का प्रयोग करते हुए वित्तीय, अनुपालन या निष्पादन लेखापरीक्षाएं (या संयुक्त लेखापरीक्षाएं) भी- “आईटी आधारित लेखापरीक्षाओं” के रूप में संदर्भित की जाती है।

(3) इन विनियमों में दिये गये लेखापरीक्षा के विस्तृत सिद्धांत, डेटा, सूचना और दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण के लिए लागू होगी।

(4) यदि लेखापरीक्षणीय सत्व की आईटी प्रणालियों अथवा उनके द्वारा उपयोग की जा रही आईटी द्वारा महत्वपूर्ण ऑफलाइन/ मैनुअल दस्तावेजीकरण/ अनुमोदन रहित एंड टू एंड स्वचालित समाधान होता है और आईटी डेटा की समग्रता और गैर-अस्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण को पर्याप्त और प्रभावी बनाने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया जाता है, उत्पादन और परिणामों को छोड़कर लेखापरीक्षा का काफी बड़ा भाग ऑफ साईट ही किया जाता है; या जैसा लेखापरीक्षा में विशेष मूल नियंत्रणों के लिए आवश्यक होने वाली लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

### 17. आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा

(1) आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा ऐसा आश्वासन प्राप्त करने की प्रक्रिया है कि क्या आईटी प्रणालियों का विकास, कार्यान्वयन और अनुरक्षण संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है, सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा करता है और डेटा समग्रता को बनाये रखता है। अन्य शब्दों में, यह आईटी प्रणालियों और आईटी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की एक जांच है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रणालियाँ सुरक्षा, गोपनीयता, लागत और अन्य महत्वपूर्ण कारोबारी कारकों को खतरे में न डालते हुये संगठन की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा

करती है। यह महत्वपूर्ण रूप से यह उन क्षेत्रों को भी निश्चित करता है कि क्या और किस सीमा तक, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु सत्यता के एकल स्रोत के रूप में डेटा पर निर्भर रहा जा सकता है।

(2) लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों के मुख्य पहलुओं में अग्रलिखित शामिल हैं:

(i) आईटी प्रशासन और प्रबंधन जो समग्र प्रारूप है जो किसी संगठन के आईटी प्रचालनों का मार्गदर्शन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सत्व की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा कि यह भावी आवश्यकताओं और वृद्धि के लिए योजनाएं तैयार करता है;

(ii) सूचना के लिए लागू नियंत्रण मानदंड या विशेषताएं नामतः प्रभावकारिता, कुशलता, गोपनीयता, समग्रता, गैर-अस्वीकरण, उपलब्धता, अनुपालन और विश्वसनीयता हैं;

(iii) आईटी संसाधन या परिसंपत्तियां, जिन्हें आईटी अनुप्रयोगों, सूचना, अवसंरचना और जनता में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है;

(iv) नियंत्रणों जो कि नीतियां, प्रक्रियाएं, कार्यपद्धतियां और संगठनात्मक संरचना हैं, को उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है कि संगठनात्मक/कारोबारी उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे और अनपेक्षित घटनाओं से बचा जाएगा या पता लगाया जाएगा और सुधारा जाएगा। नियंत्रण या तो हस्त्य रूप से या योजना बद्ध/स्वचालित हो सकते हैं। नियंत्रणों को सामान्य नियंत्रण में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जो कि वे नियंत्रण हैं जो ऐसे वातारण से संबंधित होते हैं जिसमें कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोग प्रणाली विकसित, अनुरक्षित और प्रचालित की जाती हैं तथा वे अनुप्रयोग नियंत्रण जो कि प्रत्येक विशिष्ट कंप्यूटरीकृत अनुप्रयोग के लिए विशेष नियंत्रण होते हैं;

(v) सूचना सुरक्षा, जो कि गोपनीयता, समग्रता, और गैर-अस्वीकरण और उपलब्धता के संबंध में सूचना और प्रणाली संसाधनों की सुरक्षा है। जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योगिकियों की संभावना, जटिलता और भूमिका बढ़ती है, सूचना सुरक्षा आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है; और

(vi) आईटी के प्रबंधन की एंड टू एंड प्रक्रियाएं सूचना प्रणाली और सेवाओं की योजना और संगठन; संकलन और कार्यान्वयन; सुपुर्दगी और सहायता तथा निगरानी और मूल्यांकन को शामिल करती है।

(3) वे पहलू जो लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के भाग के रूप में कवर किये जा सकते हैं उनमें व्याख्यात्मक रूप से निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है:

(i) आईटी प्रशासन और प्रबंधन और आईटी प्रणाली के लिए योजना;

(ii) किसी आईटी प्रणाली का संकलन, विकास और कार्यान्वयन;

- (iii) किसी आईटी प्रणाली के लिए अनुप्रयोग नियंत्रण;
  - (iv) मौजूदा आईटी प्रणाली का प्रचालन और अनुरक्षण (परिवर्तन प्रबंधन सहित);
  - (v) आईटी आऊटसोर्सिंग (वेंडर लॉक-इन और एग्जिट प्रबंधन परिचयन सहित);
  - (vi) आईटी प्रणाली हेतु सूचना सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन; और
  - (vii) आईटी प्रणालियों हेतु आपदा बहाली और कारोबार निरंतरता योजना;
- (4) लेखापरीक्षा विभिन्न वैधीकरणों जैसे योजना और व्यवहार्यता अध्ययन; आवश्यक विनिर्देश; अधिप्राप्ति और संविदाकरण; डिजाईन और विकास; परीक्षण और कार्यान्वयन; प्रचालन और अनुरक्षण आदि के लिए आईटी प्रणालियों के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में आईटी प्रणालियों की जांच कर सकता है। उसमें आईटी प्रणाली की लेखापरीक्षा भी शामिल हो सकती है जो विकास या कार्यान्वयन के अंतर्गत है।
- (5) जांच हेतु आईटी तंत्र, निष्कर्ष और डेटा विश्लेषण/विश्लेषिकी और सहायक दस्तावेजीकरण और अभिलेखों (इलैक्ट्रॉनिक और मैनुअल) की विस्तृत संवीक्षा के संयोजन का प्रयोग करते हुए किसी आईटी प्रणाली (अपनी सटीकता और प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए) में नियंत्रणों के मूल परीक्षण किये जा सकते हैं।
- (6) एक लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा किसी आईटी प्रणाली के सभी चरणों (योजना; संकलन; डिजाईन; विकास और कार्यान्वयन; सुपुर्दगी और सहायता; निगरानी और मूल्यांकन) से संबंधित पूरे दस्तावेज रखने अपेक्षित हैं। इसे अपनी आईटी प्रणालियों में किये गये सभी परिवर्तनों के दस्तावेज बनाने भी अपेक्षित है। इसके पूर्णतः या आंशिक रूप से अभाव को अनुमान सहित लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया जाता है।
- (7) लेखापरीक्षणीय सत्व को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा के सरलीकरण के उद्देश्य हेतु सभी आवश्यकताएं आईटी प्रणाली में शामिल की गई हैं और आईटी प्रणाली की लेखापरीक्षा को इस संबंध में अभाव/कमियों; यदि कोई है; तो उन पर टिप्पणी करनी चाहिए।
- (8) लेखापरीक्षा द्वारा आवधिक अंतरालों में विभिन्न आईटी प्रणाली या प्रयोग किए जा रहे या विकसित किये जा रहे प्लेटफार्म (मोबाईल ऐप आदि सहित) के बारे में लेखापरीक्षणीय सत्व से सूचना मांगी जा सकती है और लेखापरीक्षणीय सत्व अपेक्षित विवरण प्रदान करेगा।
- (9) लेखापरीक्षा के जोखिम निर्धारण और प्राथमिकता देने के आधार पर आईटी प्रणाली (प्रणालियों) की लेखापरीक्षा आवश्यक होगी, यदि यह एक नई कार्यान्वित प्रणाली है या इसमें विगत लेखापरीक्षा से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने हैं ताकि डेटा की समग्रता, गैर-स्वीकरण और विश्वसनीयता बनाई जा सके।

## 18. आईटी सहायता प्राप्त लेखापरीक्षाएं

- (1) आईटी सहायता प्राप्त लेखापरीक्षाओं में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करने के लिए परंपरागत डेटा विश्लेषण तंत्रों [कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) के रूप में भी संदर्भित] और डेटा विश्लेषिकी/वृहद् डेटा विश्लेषिकी तक सीमित न होकर विभिन्न आईटी तंत्रों के प्रयोग को शामिल किया जाता है।
- (2) ऐसा विश्लेषण या विश्लेषिकी लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा पर लागू होता है, जो अलग-अलग संरचनाओं और प्रारूपों सहित बाह्य या तीसरी पार्टी डेटा के रूप में उपलब्ध हो सकता है।
- (3) ऐसे डेटा की विश्वसनीयता की जांच करते समय ऐसे डेटा की डेटा समग्रता और गैर- अस्वीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आईटी और गैर आईटी नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता को लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा पूर्णतः ध्यान में रखा जा सकता है।
- (4) डेटा विश्लेषण/विश्लेषिकी से प्राप्त परिज्ञान विश्लेषण, मॉडलिंग या कल्पना से पहचाने गये अपवादों, प्रवृत्तियों, स्वरूपों, विचलनों, विसंगतियों और डेटा कारकों के मध्य संबंधों तक सीमित नहीं है, इसे लेखापरीक्षाओं की योजना, आयोजन और रिपोर्ट देने में प्रयोग किया जा सकता है।
- (5) स्वचालन में कमियों पर निर्भरता ऑफलाइन दस्तावेजीकरण का स्तर और नियंत्रणों की सटीकता और प्रभावकारिता, डेटा विश्लेषण/ विश्लेषिकी के माध्यम से निष्कर्षों की विश्वसनीयता के मामलों के एक नमूने की क्षेत्रीय जांच और सत्यापन द्वारा वैध करने की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षा हेतु अभिगम का अधिकार और लेखापरीक्षणीय सत्व की जिम्मेदारियाँ

**19. लेखापरीक्षा हेतु अभिगम का अधिकार और लेखापरीक्षणीय सत्व की जिम्मेदारियाँ (संघ सरकार और राज्य सरकार सहित) (विनियम 8 के साथ पठित)**

(1) लेखापरीक्षा लेखापरीक्षणीय सत्व के डेटा, सूचना और दस्तावेजों (लेखाओं, वाउचरों, रिकॉर्डों आदि सहित) के संदर्भ में आयोजित की गई है। लेखापरीक्षा के अभिगम में इलेक्ट्रॉनिक डेटा सहित सभी डेटा, सूचना और दस्तावेज शामिल हैं, और लेखापरीक्षणीय सत्व की सूचना प्रणालियों तक अभिगम शामिल है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक और अपेक्षित हो। लेखापरीक्षा के अभिगम में गोपनीय और संवेदनशील डेटा, सूचना या दस्तावेजों तक पूर्ण और समय पर अभिगम शामिल है, जिसके प्रबंधन को विनियम 20 के द्वारा शासित किया जाएगा।

(2) लेखापरीक्षा डेटा, सूचना और दस्तावेजों के संदर्भ में आयोजित की जा सकती है (i) जैसा कि लेखापरीक्षा कार्यालय और/या लेखा कार्यालय में उपलब्ध हो (ii) जैसा कि लेखापरीक्षा कार्यालय और/या लेखा कार्यालय में अभिगम हो या प्राप्त किया जा सकता है (iii) लेखापरीक्षणीय सत्व के कार्यालय में या (iv) उस स्थान पर जहां लेखापरीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों या डेटा उपलब्ध हो या (v) किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जैसे लेखापरीक्षा द्वारा निर्णय किया गया हो।

(3) विनियमन 16 के अनुसार, लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षणीय सत्व के दौरे के साथ जोड़ी गई ऑफसाइट/रिमोट एक्सेस/ऑनसाइट लेखापरीक्षा के तत्वों को शामिल किया है। लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्राधिकार को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य निर्धारित किए गए अनुसार लेखापरीक्षा दलों को समय-समय पर लेखापरीक्षणीय सत्वों के कार्यालयों में तैनात किया जाता है। लेखापरीक्षा दलो का दल लीडर/पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाता है।

(4) जैसे ही लेखापरीक्षा की सूचना दी जाती है लेखापरीक्षा लेखापरीक्षणीय सत्व से मूल रिकॉर्डों, डेटा, सूचना और दस्तावेजों को मांग सकता है, ताकि एक व्यवस्थित समीक्षा को सक्षम बनाया जा सके और लेखापरीक्षणीय सत्व के दौरे से पहले ऐसी सूचना तक पहुंचकर दूरस्थ रूप से लेखापरीक्षा कार्य शुरू किया जा सके। यदि अनुरोध की गयी सूचना और डेटा को अभिगम में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो लेखापरीक्षणीय सत्व में प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षा द्वारा उसे भेजी गई मांग में अपेक्षानुसार मूल रिकॉर्डों, डेटा, सूचना और दस्तावेजों को लेखापरीक्षा दल के पहुंचने से पहले तैयार रखे।

लेखापरीक्षा भी, जैसा आवश्यक समझा जाए, लेखापरीक्षा नियोजन उद्देश्यों के लिए मूल रिकॉर्डों डेटा, सूचना और दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।

(5) कोई भी मांग, चाहे वह अग्रिम हो या लेखापरीक्षा के दौरान, लिखित में या रिकॉर्ड बैठको में की जाएगी और लेखापरीक्षणीय सत्व में विभिन्न कार्यों के प्रभारी व्यक्तियों या लेखापरीक्षणीय सत्व के प्रभारी अधिकारी को संबोधित की जा सकती है। (इन विनियमनो के प्रयोजनों के लिए, ईमेल द्वारा संप्रेषण/अनुरोध को हमेशा लिखित में संप्रेषण/अनुरोध माना जाएगा।

(6) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार लेखापरीक्षणीय सत्व के प्रभारी अधिकारी का यह वैधानिक दायित्व है कि डेटा, सूचना और दस्तावेजों के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोधों का, चाहें अग्रिम में हो या लेखापरीक्षा के दौरान किया गया हो, निर्धारित समय में पालन करे। लेखापरीक्षा के लिए किस समय डेटा, सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, इसका उल्लेख मांग पत्र में किया जाएगा। (लेखापरीक्षा और मामले की तत्कालिकता द्वारा मांगे गए डेटा, सूचना और दस्तावेजों की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित समय को निर्धारित किया जाता है।

(7) लेखापरीक्षणीय सत्व लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(8) लेखापरीक्षणीय सत्व लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार इस तथ्य के बावजूद अपनी सूचना प्रणाली और डेटा तक अभिगम प्रदान करेगा, कि प्रणाली को लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा या लेखापरीक्षणीय सत्व की ओर से किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्वामित्व, अनुरक्षित और संचालित किया जाता है। इस तरह का अभिगम लेखापरीक्षित सत्व की आईटी प्रणालियों के साथ इंटरफेसिंग या लेखापरीक्षा कार्यालय के लिए डेटा पहुंच के वैकल्पिक समकक्ष पद्धतियों की स्थापना के माध्यम से हो सकता है।

## **20. सूचना की गोपनीयता और लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई वैयक्ति पहचान योग्य/संवेदनशील सूचना की सुरक्षा**

(1) 'गोपनीय' या 'गुप्त' या 'अतिगुप्त' के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों और सूचना के प्रहस्तन और अभिरक्षा के लिए लेखापरीक्षा द्वारा सरकार के स्थाई कानूनों और निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि विधि द्वारा सामान्य प्रकटन से प्रतिबंधित कतिपय विशेषाधिकृत या गोपनीय सूचना या व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना (पीआईआई) को लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त किया जाता है तो लेखापरीक्षा उस सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी लेखापरीक्षा उत्पाद सूचना के उस विशेषाधिकार अथवा गोपनीयता के साथ समझौते का साधन न बनें। हालांकि, इसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विस्तृत आदेशों के अनुसार और अनुप्रोज्य कानूनों की संगत में लेखापरीक्षा रिपोर्टों में संबंधित विभागों, संगठनों, दलों के नामों को शामिल करने से लेखापरीक्षा को नहीं रोका जाता है।

(3) लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षणीय सत्त्व के बारे में प्राप्त की गई सूचना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के निष्पादन से बाहर के प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं की जाएगी। तथापि लेखापरीक्षा, जहाँ आवश्यक हो, उचित अभियोजन प्राधिकारियों को विधि के विरुद्ध अपराधों को सूचित करने से नहीं रोकती। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

## 21. डेटा, सूचना और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विफलता

(1) डेटा, सूचना और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विफलता के मामले को लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा नियंत्रण अधिकारी को और उचित कार्यवाई के लिए भारत सरकार के मामले में विभाग के सचिव या राज्य के मुख्य सचिव सहित संबंधित सरकार/मंत्रालय को उपयुक्त रूप से तुरन्त सूचित किया जाएगा। ये प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटा, सूचना और दस्तावेजों तक आवश्यक अभिगम निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा करने के लिए प्रदान किया गया है और तदनुसार संबंधित लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है।

(2) लेखापरीक्षा के लिए डेटा, सूचना और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विफलता के मामले लेखापरीक्षणीय सत्त्व में प्रभारी अधिकारी के वैधानिक दायित्व का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति के निहितार्थ निम्नानुसार होंगे:

(i) लेखापरीक्षा उत्पाद/रिपोर्ट के द्वारा डेटा की रोक/प्रस्तुत न करने की सूचना दी जाएगी, इस प्रकार सार्वजनिक व्यय/राजस्व में पारदर्शिता की कमी के बारे में संसद/राज्य विधानमंडल को सूचित किया जाएगा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की व्यय या राजस्व संबंधी कार्यवाई/निर्णय की सटीकता और यहां तक कि उपयुक्तता पर संसद/राज्य विधानमंडल को आश्वासन देने में असमर्थता की सूचना दी जाएगी।

(ii) यदि डेटा को रोक दिया जाता है या उस तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय में, अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने से लेखापरीक्षा को रोकता है, तो एकल पैराग्राफ रिपोर्ट के मामले को तथ्यों और निहितार्थ को स्पष्ट रूप से बताते हुए संसद/राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) उपर्युक्त (ii) के अनुसार आकस्मिकता के कारण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा राय/निष्कर्षों के भाग के रूप में गैर-प्रमाणन या योग्यता (अस्वीकरण सहित) हो सकता है।

**22. व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार**

(1) अधिनियम की धारा 13, भारत और प्रत्येक राज्य एवं विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से सभी व्यय की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है। अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 13 आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित संघ के और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करने के लिए भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है।

(2) समेकित निधि से किए गए व्यय की लेखापरीक्षा के बुनियादी सिद्धांत लोक लेखा और आकस्मिक निधि से संबंधित संव्यवहारों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(3) अधिनियम की धारा 16, भारत सरकार और प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा और स्वयम् को सन्तुष्ट करने के लिए कि नियमों और प्रक्रियाओं को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी जांच की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है।

(4) प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा व्यापक है और वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा और उसके किसी भी संयोजन की प्रकृति में इसे किया जाता है। लेखापरीक्षा जाँच में शामिल है कि क्या सरकार के वित्तीय विवरण/लेखा में निर्धारित वित्तीय लेखांकन ढाँचे, लागू कानून, नियम तथा विनियम तथा लेखांकन सिद्धांतों, नीतियों तथा लागू मानकों का अनुपालन किया गया है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के साथ अनुरूपता शामिल है; लेखापरीक्षा सुसंगत कथन जैसे पूर्णता, घटना, मापना, प्रकटीकरण, नियमितता, अस्तित्व, मूल्यांकन तथा स्वामित्व की भी जाँच करती है।

**23. संसद/विधानमंडल द्वारा निर्धारित अथवा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत किसी निकाय या प्राधिकरण को विस्तारित करने के लिए व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**

(1) धारा 16 के साथ पठित धारा 13 के अनुसार अभिव्यक्ति 'सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करना' और इसी प्रकार 'सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, जो भारत की और राज्यों की समेकित निधि में देय हों, में संघ और राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय, जैसाकि संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाए अथवा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जाए, के लेखाओं की नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को लिया गया है। अधिनियम के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियों में शामिल हैं परन्तु केवल उस निकाय या प्राधिकरण तक सीमित नहीं हैं जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की जांच संतुष्ट होती है।

(2) उपरोक्त (1) में रेखांकित कार्यक्षेत्र उन सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा पर लागू होता है जो संघ तथा राज्य ने किए हैं जिनका समेकित निधि के साथ सम्बन्ध है उदाहरणार्थ जब प्राप्तियों का राजस्व सहभाजन के साथ सीधा सम्बन्ध हो।

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के साथ पठित अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश प्राप्तियों, उधार आदि सहित) और राजस्व प्राप्तियों के अंदर कर और करेतर प्राप्तियां दोनों कवर की गयी हैं।

(4) करेतर प्राप्तियों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने और सार्वजनिक परिसम्पतियां और उपयोगिताएं स्थापित करने और/या उनका प्रचालन अथवा रखरखाव करने और उससे राजस्व अर्जित करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकार को सत्त्वों द्वारा देय प्रभार शामिल होगा। ऐसे प्रभार लाइसेंस फीस, उपयोग प्रभारों (आवधिक, अपफ्रंट या एक बार), रॉयल्टी, प्रीमियम, राजस्व भाग, उत्पादन भाग, इनके संयोजन का लाभ का हिस्सा जैसे रूप में हो सकते थे।

(5) उस सीमा तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सभी प्राप्तियों की जांच करने के प्रयोजनार्थ सेवा प्रदाताओं की लेखा पुस्तकों तक अभिगम का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सरकार को राजस्व सहभाजन द्वारा इसे वैधरूप से देय फीस या प्रभारों के रूप में अपना उचित भाग प्राप्त हो रहा है।

(‘उदाहरणार्थ दूरसंचार विभाग द्वारा प्राप्त लाइसेंस फीस और इसी प्रकार रेडियों स्पैक्ट्रम प्रभार जबकि लाइसेंसधारियों द्वारा स्पैक्ट्रम से निपटने का विशेषाधिकार प्रदान करना अनुच्छेद 266 के अर्थ में ‘सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व’ है अर्थात् अधिनियम की धारा 16 के अर्थ में ‘भारत की समेकित निधि में देय एक प्राप्ति’ है)

(6) भूमि के अनुदान से संबंधित सभी आदेश, राजस्व या रियायत, अनुदान, पट्टे या खनिज या वन अधिकारों का लाइसेंस या पानी की शक्ति का अधिकार, या किसी भी रियायत के संबंध में कोई भी ढील या विशेषाधिकार या जो किसी भी तरह से राजस्व को छोड़ने से संबंधित है, लेखापरीक्षा के दायरे में आता है क्योंकि उनके महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ हैं। सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों की लेखापरीक्षा को नियमितता और औचित्य दोनों के दृष्टिकोण से किया जाता है।

## 24. नीति का आधार बनाने के लिए आंकड़ों, सूचना और दस्तावेजों की सम्पूर्णता

प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा की परिधि में आंकड़े, सूचना और दस्तावेज जो किसी नीति का आधार बनते हैं, की सम्पूर्णता की जाँच को शामिल किया जाता है।

## व्यय की लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

### 25. प्रणालियों और प्रक्रियाओं का परीक्षण तथा व्यय की लेखापरीक्षा में लागू की जाने वाली जांच

व्यय की लेखापरीक्षा यह जाँच और सत्यापन करने के लिए की जाती है कि क्या पर्याप्त, उचित और सुदृढ़ प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है तथा लोक धन को व्यय करने के लिए उनका मूल भावना से पालन किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ साथ लेखापरीक्षा में निम्न के लिए व्यय की जांच की जाती है:

(1) विनियोजन अर्थात् अनुपूरक अनुदानों और पुनर्विनियोजन सहित बजट में निधियों की उपलब्धता; इसमें निम्नलिखित भी शामिल है

(क) उनकी वैधता, समर्थता और औचित्य के लिए पुनर्विनियोजन और अभ्यर्पण के आदेशों की जाँच;

(ख) पुष्टि कि व्यय अनुदान की परिधि और उद्देश्य के अन्दर हैं और नई सेवा अथवा सेवा के नये साधन सम्बन्धित सीमा को आकर्षित नहीं करता;

(ग) अनुदान के दायरे और आशय के अनुसार सेवा या प्रयोजन के लिए इसकी विधिक उपलब्धता और उपयोग के लिए वास्तविक व्यय की राशि;

(घ) ऐसे अन्तर की निर्धारित सीमाओं से आगे उनकी सत्यता के लिए वास्तविक व्यय की राशियों और विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशियों के बीच अत्यधिक अन्तर के लिए स्पष्टीकरण;

(ङ) वास्तविक संवितरण में लागू विधियों, नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) वाऊचरों, आदाता की पावतियों, आदि के रूप में साक्ष्य;

(छ) खर्च करने वाले अधिकारी के लेखा पुस्तकों में अभिलेख जिसमें राज कोष, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, बैंक आदि के अभिलेखों के साथ प्रति-सत्यापन शामिल है; और

(ज) सरकारी नियमों में यथानिर्धारित मानीटरिंग, नियंत्रण और रिपोर्टिंग

उपर्युक्त में वित्तीय औचित्य के व्यापक और सामान्य सिद्धांतों के अनुपालन के लिए व्यय की जाँच की आवश्यकता अंतःस्थापित परन्तु अनिवार्य है।

(2) विनियोजन लेखाओं के मामले में, उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा सत्यापित करती है कि क्या पर्याप्त, उचित तथा सुदृढ प्रणाली तथा क्रियाविधि उपलब्ध है तथा लोक निधि के व्यय के लिए मूल भावना से पालन किया गया है।

(3) लेखापरीक्षा में न केवल अनियमितताओं तथा नियम, विनियम तथा आदेशों के उल्लंघन के महत्वपूर्ण मामलों में परन्तु हर मामले में रिपोर्ट करना आवश्यक है जिसमें, लेखापरीक्षा की राय में नियम, विनियम तथा आदेशों के अनुपालन के बावजूद सार्वजनिक धन तथा संसाधनों का अनावश्यक, अत्यधिक, अपव्यय या व्यर्थ व्यय या ऐसा व्यय शामिल है जिसमें अभिप्रेत आउटपुट और/या परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

## **26. पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के आदेशों की प्रतियां भेजने की आवश्यकता**

सरकारी विभाग पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के सभी आदेशों की प्रतियां, आदेशों के जारी होने के तुरन्त बाद लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को भेजेंगे। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी ऐसे आदेशों का एक समेकित विवरण भी लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को भेजा जाएगा ताकि यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर पहुंच सके। यदि कोई ऐसा आदेश जारी न किया गया हो तो निरंक विवरण भेजा जाएगा।

## **27. पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के आदेशों में कारणों का स्पष्टतया उल्लेख करना**

पुनर्विनियोजन के आदेशों में विनियोजन की भिन्न इकाइयों के बीच निधियों के अन्तरण के कारणों का विस्तृत रूप से और स्पष्टतया उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार निधियों के अभ्यर्पण के कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

## **28. आधिक्य और कमियों के कारणों को बताना**

सरकारी विभागों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को ऐसे समय जैसाकि निर्दिष्ट किया जाए, के अन्दर वे कारण प्रस्तुत किए जाएंगे जो विनियोजन की किसी इकाई के अन्तर्गत प्रावधान की गई राशि की तुलना में प्रयोजनार्थ निर्धारित सीमाओं से अधिक व्यय में किसी आधिक्य अथवा कमी के लिए हों।

## **29. सरकारी विभागों द्वारा नियमों, विनियमों और आदेशों की प्रतिलिपियों का पृष्ठांकन**

सरकारी विभाग राजस्वों को उत्पन्न करने वाले, व्यय एवं देयताओं को वहन करने वाले और परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के प्रबंधन को विनियमित करने वाले सभी नियमों, विनियमों और सामान्य आदेशों, जैसे ही उन्हें जारी किया जाता है, की प्रतियों को निरपवाद रूप से लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को पृष्ठांकित करेंगे अथवा अन्य प्रकार से भेजेंगे।

### 30. जारी करने से पूर्व नियमों अथवा संहिताओं के संशोधन का संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को संदर्भ

जहाँ कहीं सम्भव हो, सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले नियमों अथवा मूल संहिताओं के किसी संशोधन, जो वित्तीय, लेखाकरण अथवा लेखापरीक्षण निहितार्थ वाले हैं, को जारी करने से पूर्व संवीक्षा के लिए संबंधित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) अथवा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जैसा भी मामला हो, को भेजा जाए।

### 31. लेखापरीक्षा को विशेष दस्तावेज़ और सूचना प्रदान करना

इन विनियमों में इस सम्बन्ध में अन्य प्रावधानों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लेखाओं के संकलन और वित्तीय विवरणों के लिए उत्तरदायी एजेंसी लेखापरीक्षा को अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित की आपूर्ति करेगी:

- (1) लेखा वर्ष के व्यय की राशियों और प्राप्तियों की राशियों और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तदनुसूची राशियों के बीच किन्हीं महत्वपूर्ण अन्तरों के कारण;
- (2) आवधिक लेखा समायोजनों का विवरण, ऐसे समायोजनों को प्राधिकृत करने वाले सामान्य अथवा विशेष आदेशों की प्रतियों के साथ;
- (3) लेखा पुस्तकों के अनुसार रोकड़ शेष और भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों के अनुसार शेष में अन्तरों, यदि कोई हैं, के लिए स्पष्टीकरण;
- (4) किन्हीं ऐसी मदों के लिए स्पष्टीकरण जो प्रथमदृष्टया असामान्य है जिसमें प्रतिकूल और अपर्याप्त शेष शामिल हैं;
- (5) उन लेखा शीर्षों, जो सरकारी लेखा के प्रति संवृत नहीं होते, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वर्ष के अंत शेषों और लेखाओं के वर्ष के अथ शेष के बीच अन्तरों, यदि कोई हों, के लिए कारण;
- (6) कर्ज़ और कर्जों पर ब्याज की बकाया राशियों की पुष्टि;
- (7) अतिदेय कर्जों और कर्जों पर ब्याज के विवरण;
- (8) लेजर के रूप में रखे गए विस्तृत लेखाओं के अनुसार राशियों और लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों के अनुसार तदनुसूची कुल राशियों के बीच अन्तरों, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण और इनका विश्लेषण;
- (9) राशियों (मूल राशियां और वर्ष के अंत में बकाया राशियां) सहित बकाया गारंटियों का विवरण;

- (10) पक्षकारों, जिनकी ओर से गारंटियां जारी की गयीं, से गारंटियों (मूल राशियां और वर्ष के अंत में बकाया राशियां) की राशियों की पुष्टि;
- (11) वर्ष के दौरान उपयोग की गई गारंटियों के विवरण;
- (12) प्राप्त गारंटी फीस की राशि और बकाया राशि;
- (13) समय-समय पर लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक लागत वाले अथूरे कार्यों के विवरण; और
- (14) 'प्रेषण' और 'उचंत' लेखाशीर्षों के अन्तर्गत बकाया राशियों का वर्षवार विश्लेषण।
- (15) लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा मांगी गयी अन्य प्रासंगिक जानकारी।

### **प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा**

### **32. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्न के संबंध में प्रणालियों, नियमों और क्रियाविधियों तथा उनकी प्रभावोत्पादकता की जाँच शामिल है:**

- (1) कर विभाग द्वारा राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और आवंटन;
- (2) संभावित कर निर्धारितियों की पहचान करना, विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा कर अपवंचन का पता लगाना और रोकथाम करना;
- (3) तत्परता से दावों पर कार्रवाई करना और यह कि पर्याप्त औचित्य और उचित प्राधिकार के बिना इनको छोड़ा या कम नहीं किया गया है;
- (4) धोखेबाजी, चूक और त्रुटि के माध्यम से राजस्व की हानियों की तुरन्त जाँच करना, साथ ही यदि अपेक्षित हो तो अन्य समान मामलों की समीक्षा करना;
- (5) शास्ति के उद्ग्रहण और अभियोग प्रारम्भ करने सहित विवेकाधिकार का प्रयोग उचित तरीके से करना;
- (6) विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करना;
- (7) कोई योजना जो समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की जाए;
- (8) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने अथवा सुधारने के लिए लागू किया गया कोई उपाय;

(9) राशियाँ जो बकाया हैं, बकाया के अभिलेखों का अनुरक्षण और बकाया राशियों की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;

(10) विभागों द्वारा किये गये खर्चे सहित अन्य अनुषंगी और गैर-निर्धारण कार्य;

(11) लक्ष्यों की प्राप्ति, प्राप्तियों का लेखाकरण और रिपोर्टिंग तथा लेखा अभिलेखों के साथ उनका प्रति-सत्यापन और मिलान;

(12) प्रतिदायों, छूटों, फिरतियों, माफी और कटौतियों की राशियों की यह देखने के लिए जांच करना कि इनका सही प्रकार से निर्धारण किया गया और लेखाओं में लिया गया है;

(13) कर अनुपालन में सुधार और कर प्रशासन में सूचना के प्रभावी उपयोग के लिए सूचना संचालित धारणा का उपयोग;

(14) करदाता शिकायतों और शिकायतों के समाधान के लिए विभाग के अन्दर शिकायत निवारण मशीनरी / तंत्र;

(15) गैर-कर राजस्व के संबंध में निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण, वसूली आदि पर आवश्यक जांच; और

(16) कोई अन्य मामला जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाए।

**व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में आईटी सिस्टम और विशिष्ट दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक अभिगम**

**33. बजट, लेखांकन, क्रय और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों, रिकॉर्ड और आईटी प्रणालियों तक अभिगम**

(1) लेखापरीक्षणीय सत्त्व सरकार के वित्तीय संव्यवहारों के लिए बजट, लेखा, क्रय, और वित्तीय प्रबंधन के अन्य पहलुओं के लिए उपयोग की जाने वाली सभी आईटी प्रणालियों या प्लेटफार्मों के लिए पूर्ण अभिगम प्रदान करेगा, जिसमें शामिल तो हैं परन्तु जिन तक सीमित नहीं हैं सभी संस्वीकृति आदेश, पुनर्विनियोजन, अभ्यर्पण, पुस्तक समायोजन, प्राप्तियां, अंतरण, बिल, वाउचर, उप-वाउचर, अनुदान, सहायता-अनुदान, अनुबंध, विक्रेता भुगतान, लाभार्थी भुगतान आदि। अंतिम व्यय करने वाली इकाई या अंतिम प्राप्तकर्ता तक प्रत्येक संव्यवहार का पूर्ण पता लगाने की क्षमता, आईटी प्रणालियों में उपलब्ध होने के बाद, जरूरत पड़ने पर लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) सरकारी विभागों द्वारा जारी व्यय संस्वीकृति के सभी आदेशों की प्रतियों को, ज्यों ही इन्हें जारी किया जाता है, लेखापरीक्षा कार्यालय को पृष्ठांकित किया जाएगा या लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा अथवा अन्य प्रकार से भेजा जाएगा जिसमें आकस्मिकता निधि से अग्रिम की सभी

संस्वीकृतियों और आकस्मिकता निधि में अग्रिम के पुनर्ग्रहण की इसके तत्काल जारी होने की प्रतियां शामिल है। आदेशों में उन नियमों, विनियमों आदि का प्राधिकार के रूप में संदर्भ दिया जाएगा जिनके अनुसार व्यय संस्वीकृत किया गया है।

(3) जहां एक आईटी प्रणाली के माध्यम से संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं, संबंधित विभाग, मंत्रालय या लेखापरीक्षणीय सत्त्व, आईटी प्रणाली में संस्वीकृति मॉड्यूल तक लेखापरीक्षा के लिए पूर्ण और समय पर अभिगम प्रदान करेगा।

(4) पूर्ववर्ती तिमाही में की गयी सभी संविदाओं के मात्र तिमाही विवरणों (निरंक विवरण सहित) को लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजना या अगली तिमाही के पहले पखवाड़े के अन्दर लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाना ।

#### **34. राजस्व प्रशासन के पहलुओं से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों, अभिलेखों और आईटी प्रणालियों तक अभिगम**

(1) लेखापरीक्षा में राजस्व प्रशासन, अर्थात्, मूल्यांकन, संग्रहण, आवंटन, पंजीकरण, प्रतिदाय और प्रबंधन के संबंध में व्यापक, समेकित, ग्रनुलर और अन्य संबंधित जानकारी, चाहे वह मैनुअल, कम्प्यूटरीकृत या किसी अन्य रूप में हो, तक अभिगम आवश्यक हो सकता है। संबंधित विभाग पूर्ण उचित शीघ्रता के साथ सूचना के लिए किए अनुरोधों पर कार्यवाई करेगा।

(2) लेखापरीक्षा लागू विधियों और नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अलग अलग निर्धारण फाइलों/इ-निर्धारण अभिलेख जैसा आवश्यक समझे, तक अभिगम रखेगा। संबंधित विभाग निर्धारण अभिलेखों/इ-निर्धारण अभिलेखों और साथ ही हार्ड कापी अथवा/और इलैक्ट्रानिक रूप में उसके द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस सहित किसी कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों तक भी अभिगम मुहैया कराएगा।

(3) तीसरे पक्ष के अभिलेखों और उन पर अतिरिक्त सूचना के संबंध में अध्याय 4 और 13 के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

#### **35. भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार**

(1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 17, संघ के अथवा राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है।

(2) भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा में अधिप्राप्ति मालसूची प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन आदि की लेखापरीक्षा की जाती है।

#### **36. भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा**

भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा में यह सत्यापन करना शामिल है कि इसमें निम्न के लिए पर्याप्त एवं

सुदृढ़ प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है और अनुपालन किया गया है:

- (1) भण्डारों की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकता की स्थापना;
- (2) जहाँ लागू हो, आरक्षित स्टॉक सीमाओं के अवधारण सहित भण्डारों की आवश्यकता का उचित निर्धारण;
- (3) भण्डारों की अधिप्राप्ति का प्राधिकार;
- (4) निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लागत-प्रभावी तरीके से भण्डारों की अधिप्राप्ति;
- (5) कार्मिकों के कर्तव्यों का उपयुक्त पृथक्करण और लेखा पुस्तकों के साथ भण्डार लेखाओं के मिलान सहित भण्डारों की प्राप्ति, निरीक्षण, अभिरक्षा, निर्गम और लेखाकरण;
- (6) निर्धारित अन्तरालों पर प्रत्यक्ष शेषों का सत्यापन और प्रत्यक्ष शेषों एवं अभिलेखों के अनुसार शेषों के मध्य विसंगतियों का अविलम्ब मिलान और समाधान; और
- (7) अप्रचलित और अतिरिक्त भण्डारों की पहचान, बिक्री और/अथवा अन्य इकाईयों, डिवीजनों, आदि को अन्तरण के रूप में उनका निपटान और तद्नुरूपी प्राप्तियों का लेखाकरण अथवा उचित जाँच पड़ताल के पश्चात् बट्टे खाते में डालना।

### **37. भण्डार शेषों की जाँच पड़ताल करने के लिए लेखापरीक्षा का अधिकार**

लेखापरीक्षा भण्डारों का भौतिक निरीक्षण कर सकती है और लेखापरीक्षा में निष्पादन में निष्पादित जांचों के भाग के रूप में स्टोर बैलेंस की जांच कर सकती है और विसंगतियां सूचित कर सकती है।

### **38. अन्य परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार**

- (1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 13, संघ के अथवा राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में रखे गये व्यवसाय, विनिर्माण और लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए और उनके द्वारा ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं पर रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है।
- (2) तद्नुसार, भण्डार और स्टॉक के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा चालू और पूरे हुए निर्माण कार्यों, निवेशों, कर्जों एवं अग्रिमों, जमाओं, रोकड शेषों, आन्तरिक एवं बाह्य उधारों, सरकारों द्वारा दी गई गारन्टियों, आरक्षित और निक्षेप निधियों सहित संघ की और राज्यों की एवं विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सभी अन्य परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

### 39. लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धान्तों का लागू होना

लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धान्त परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा के लिए लागू होंगे।

### 40. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आदेशों द्वारा लेखापरीक्षा का शासित होना

परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा शासित होगी।

### 41. सहायता अनुदानों और ऋणों की लेखापरीक्षा

सहायता अनुदानों और ऋणों की लेखापरीक्षा मुख्यतः व्यय की लेखापरीक्षा का एक विस्तार है और इसमें व्यय की लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धान्तों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह जांच की जाती है कि क्या सरकारी सहायता की राशि का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया गया है।

### 42. सहायता अनुदानों और ऋणों की लेखापरीक्षा के दौरान किये जाने वाले सत्यापन

सहायता अनुदानों अथवा ऋणों के रूप में सरकारी सहायता की लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की जाएगी कि क्या प्रणालियों और प्रक्रियाओं की निम्न के लिए स्थापना की गई और क्या इनका अनुपालन किया जा रहा है:

- (1) सरकारी सहायता की संस्वीकृति के प्रयोजन का स्पष्ट निरूपण;
- (2) उनकी पूर्ववर्ती, अवशोषी क्षमता, वित्तीय स्थिति, प्रणालियों और प्रबंधन प्रथाओं के सन्दर्भ में सरकारी सहायता के लिए व्यक्तियों, निकायों और प्राधिकरणों की उचित एवं पारदर्शी पहचान और चयन;
- (3) सहायता की राशि का अवधारण और इसकी समय से निर्मुक्ति;
- (4) उस प्रारूप, जैसा कि निर्धारित किया जाए, में लेखाओं के रखरखाव सहित अनुदानग्राही अथवा कर्जदार द्वारा सहायता का उचित लेखाकरण;
- (5) सरकारी सहायता की शर्तों को पूरा करने को सुनिश्चित करना;
- (6) सहायता के उद्देश्य की उपलब्धि सहित सहायता को मानीटर करना और मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी अंत उपयोग सुनिश्चित करना;
- (7) किसी अप्रयुक्त राशि को सरकार को वापिस करना; और
- (8) ऋणों के मामले में निर्धारित रूप में उनकी चुकौती और लागू शर्तों के अनुसार शास्तिक ब्याज सहित ब्याज की वसूली करना।

वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये व्यापक रूपरेखा

**43. सरकार की वित्तीय लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा**

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं की, उनके संकलन के लिए उत्तरदायी एजेंसी का ध्यान किए बिना, जांच और प्रमाणीकरण करते हैं।

(2) सरकार के वित्त लेखाओं में वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियां और संवितरण दर्शाए जाते हैं जो राजस्व और पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण से सम्बन्धित लेखाओं और यथानिर्धारित परिसम्पत्तियों और अन्य देयताओं द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों के साथ दर्शाए जाते हैं।

(3) सरकार के विनियोजन लेखाओं में विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में सरकार का व्यय उन महत्वपूर्ण अन्तर्गतों के स्पष्टीकरणों के साथ दर्शाया जाता है, जो दोनों के बीच अन्तर्गतों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक बचत अथवा आधिक्य दर्शाते हैं।

(4) वित्तीय लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों, मैनुअल और अन्य प्रासंगिक आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(इन विनियमों का अध्याय 5 भी देखें जिसमें सरकार की वित्तीय लेखापरीक्षा के भाग के रूप में निष्पादित कुछ जांचों को कवर किया गया है)

**44. अनुपालन लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा**

(1) अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षण मानकों, अनुपालन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अन्य सुसंगत आदेशों के अनुसार की जाती है।

(2) अनुपालन लेखापरीक्षण निम्नलिखित के साथ सम्बन्धित है

(क) नियमितता (औपचारिक मापदंड का अनुपालन जैसे भारत के संविधान के प्रावधान, सुसंगत कानून, नियम, विनियम, आदेश, अनुदेश और करार आदि); और

(ख) औचित्य (सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का अभिशासन और सार्वजनिक कर्मचारियों का आचरण)।

(3) अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों, संव्यवहारों और अनुदेशों की स्वयं की जांच भी शामिल होती है जो उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य और विवेक और प्रभावकारिता के

लिए होती है, इसका अर्थ है कि क्या ये निम्न प्रकार से हैं:

- (क) भारत के संविधान के प्रावधानों और कानून के प्राधिकार के अधीन हैं (वैधता);
  - (ख) अपव्यय, दुरूपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियों, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के कारण हानि के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और पर्याप्त रूप से व्यापक हैं (पर्याप्तता);
  - (ग) सतत, स्पष्ट और अस्पष्टता से रहित हैं और निर्णय लेने में ईमानदारी के अनुपालन को विकसित करते हैं (पारदर्शिता);
  - (घ) विवेक और बुद्धिमानी (औचित्य और पूर्वविचार); और
  - (ङ) एक ऐसे तरीके में कार्यान्वित किया गया है जिससे अभिप्रेत उद्देश्य पूरे होते हैं।
- (4) जब अनुपालन लेखापरीक्षण निष्पादन लेखापरीक्षा का एक भाग हो तब अनुपालन को मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के पहलुओं में से एक पहलू के रूप में देखा जाता है। गैर अनुपालन उन कार्यकलापों का कारण, एक स्पष्टीकरण अथवा एक परिणाम हो सकता है जो निष्पादन लेखापरीक्षा का विषय हो सकते हैं।

#### 45. निष्पादन लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

(1) निष्पादन लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों और अन्य प्रासंगिक आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(2) निष्पादन लेखापरीक्षा का निर्धारण

(क) मितव्ययिता:- मितव्ययिता के सिद्धांत का अर्थ है संसाधनों की लगात को कम करना। प्रयुक्त संसाधनों को उचित समय, उचित मात्रा और गुणवत्ता में और श्रेष्ठ कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए।

(ख) दक्षता:- दक्षता के सिद्धांत का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम प्राप्त करना। यह मात्रा, गुणवत्ता और समय के सदंर्भ में नियोजित संसाधनों और दिए गए आउटपुट के बीच संबंध से संबंधित है।

(ग) प्रभावकारिता:- प्रभावकारिता के सिद्धांत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना और इच्छित परिणामों को प्राप्त करना है, विशेषकर आउटपुट और इनपुट के रूप में। उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि एनएचएम पर व्यय द्वारा अस्पतालों/सीएचसी आदि वाले अभिप्रेत आउटपुट मिलने चाहिए जिसमें अस्पताल के बिस्तर आदि अपेक्षित संख्या में हों; इसमें यथा अभिप्रेत और/या कथित परिणाम भी मिलने चाहिए जैसे कि प्रभावी स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान करना।

(3) इसलिए, निष्पादन लेखापरीक्षा सार्वजनिक निधियों की प्राप्ति और प्रयोग में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा के साथ सम्बन्धित है। दक्षता और प्रभावकारिता, जिसके साथ सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करती है, में जांच करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम में अंतर्निहित हैं।

(4) विनियम 5(3) को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा में इनपुट, आयोजना और तैयारी सहित प्रक्रियाओं (उदाहरणार्थ आपदा तैयारी आदि), आउटपुट, नतीजे (उदाहरणार्थ स्कूली शिक्षा में शिक्षण परिणाम) और परिणामों पर बल दिया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा का विश्लेषण निष्पादन मामलों से भिन्न होता है और इससे आगे जाता है और सत्त्व द्वारा किए गए कार्यकलाप के वास्तविक लाभ पर नयी सूचना, विश्लेषण या अन्तर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। जहां उपयुक्त हो, लेखापरीक्षित सत्त्व के निष्पादन पर नियमितता, संस्थागत या प्रचालनात्मक रूपरेखा या निष्पादन लेखापरीक्षा की विषय वस्तु को भी निष्पादन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में लिया जाना चाहिए।

#### **46. मापने योग्य उद्देश्यों, निष्पादन संकेतकों तथा मापन प्रणाली आदि के विकास के लिए उत्तरदायित्व**

मापने योग्य उद्देश्यों और निष्पादन संकेतकों तथा मापन की प्रणाली के विकास का उत्तरदायित्व सरकारी विभागों या सत्त्वों के अध्यक्षों का है। उनसे मापने योग्य और मानीटर करने योग्य शैली में मध्यवर्ती और अन्तिम उत्पादों एवं परिणामों को परिभाषित करना, सुपुर्दगी की यूनिट लागत और उत्पादों एवं परिणामों की बेंचमार्क गुणवत्ता का मानकीकरण करना अपेक्षित है।

#### **47. लेखापरीक्षा में मापने योग्य उद्देश्यों और निष्पादन संकेतकों की समीक्षा**

उत्पादों और परिणामों के प्रति निष्पादन की समीक्षा करने में लेखापरीक्षा मापने योग्य उद्देश्यों एवं निष्पादन संकेतकों की उनके औचित्य और सुदृढ़ता के लिए विवेचनात्मक रूप से समीक्षा कर सकता है। लेखापरीक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर कार्यक्रम निष्पादन की समीक्षा करने के लिए मानदण्ड भी निर्धारित कर सकता है।

#### **48. निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ परस्पर चर्चा**

निष्पादन लेखापरीक्षा में विषय (विषयों) के चयन से लेकर सभी अनुवर्ती अवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए जैसे कि लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मानदण्ड की परिभाषा, विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम के तैयार करने, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विकास, सिफारिशों के निरूपण और अन्य सम्बन्धित मामलों में लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के साथ उच्च कोटि की परस्पर चर्चा की परिकल्पना की जाती है। सरकारी विभाग सभी अवस्थाओं पर लेखापरीक्षा अधिकारी को उपयुक्त और समय से प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करेगा।

#### 49. एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन

निष्पादन लेखापरीक्षा के विस्तृत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंधित सरकारी विभाग के सचिव के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन करेगा। एन्ट्री कान्फ्रेंस की चर्चा में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की परिधि एवं सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मानदण्ड, साक्ष्य संग्रहण की प्रस्तावित तकनीक, समग्र समय सूची और प्रत्याशित समय अनुसूची को शामिल किया जाएगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंधित सरकारी विभाग के सचिव द्वारा दिये गये किसी सुझाव पर पूर्णतः विचार करेगा। एन्ट्री कान्फ्रेंस की कार्यवाहियों के लिखित अभिलेख को अभिलेखों में रखा जाएगा।

यदि एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन न किया जा सके तो, तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज किया जाना चाहिए।

#### 50. लेखापरीक्षा के साथ समन्वय और सहयोग के लिए एक अधिकारी का नामांकन

संबंधित मंत्रालय/विभाग का सचिव विभाग के यथोचित वरिष्ठ अधिकारी का नामांकन करेगा जो संबंधित अधिकारियों और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय और लेखापरीक्षा अधिकारी के साथ उनके सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

#### 51. एकजट कान्फ्रेंस का आयोजन

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात् संबंधित सरकारी विभाग के सचिव के साथ एक एकजट कान्फ्रेंस का आयोजन करेगा। एकजट कान्फ्रेंस की कार्यवाहियों के लिखित अभिलेख को अभिलेखों में रखा जाएगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय सचिव की अभ्युक्तियों और टिप्पणियों पर पूर्णतः विचार करेगा।

2. एकजट कान्फ्रेंस के कार्यवृत्त को निर्धारित अवधि के अन्दर, कार्यवृत्त को स्वीकार करने के अनुरोध के साथ सत्त्व में रिकार्ड और दर्ज कराना चाहिए, जिसके बाद कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सके।

3. यदि एकजट कान्फ्रेंस का आयोजन न किया जा सके तो इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज किया जाना चाहिए।

#### 52. विभाग द्वारा उत्तर देना और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सामग्री को संसाधित करना

संबंधित मंत्रालय/विभाग का सरकारी सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर देगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सामग्री को अन्तिम रूप देने से पूर्व ऐसे उत्तर को ध्यान में रखेगा।

**53. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश**

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा निष्पादित और प्रयोग किये जाएंगे।

**54. निर्धारित लेखाकरण मानकों का अनुप्रयोग**

केंद्र सरकार/भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों (एएस)/भारतीय लेखाकरण मानकों (इंडएएस), लेखापरीक्षण मानकों, मार्गदर्शन नोट आदि को सरकारी कंपनियों या किसी अन्य कंपनी की लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा परिणामों की रिपोर्ट करते समय सांविधिक लेखापरीक्षक सभी विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

**55. सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के गठन और बंद करने की सूचना देना**

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नयी सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के गठन के बारे में लिखित रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे और उसके निगमीकरण के एक महीने के अंदर उसके निगमीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति अग्रेषित करेंगे। यदि सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कंपनी बंद हो गई हो, तो भी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ऐसी घटना के एक महीने के अंदर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग किसी कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने या किसी अन्य कंपनी होने के बारे में ऐसी घटना के एक महीने के अंदर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे।

**56. सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी द्वारा अपने गठन की सूचना देना**

सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कंपनी अपने निगमीकरण के एक महीने के अन्दर शेयरधारिता पैटर्न, प्रबंधन के ब्यौरे और संस्था के संगम ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियम की एक प्रति के साथ गठन के बारे में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेगी। इसी प्रकार विद्यमान कम्पनी के मामले में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी होने के बारे में सूचना तथा अन्य ब्यौरे और दस्तावेज ऐसी घटना के एक महीने के अंदर कम्पनी द्वारा भेजे जाएंगे।

## 57. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को यथा निर्धारित चयन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करेगा और इसके बाद निम्नलिखित विनियमन के अधीन, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में लंबी अवधि के लिए नियुक्ति न हो, तब तक उसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर फिर से नियुक्त कर सकता है। प्रारंभिक नियुक्ति सहित नियुक्ति की कुल अवधि आमतौर पर चार वित्तीय वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी जो समय-समय पर निर्धारित की गई हो हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

## 58. सामान्य अवधि की समाप्ति के पहले नियुक्ति को समाप्त करना

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में प्रावधान है कि नियुक्ति करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी के पास किसी नियुक्त व्यक्ति को निलंबित करने या पदच्युत करने की शक्ति भी होगी। तदनुसार, जहां सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139(7) या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस तरह के लेखापरीक्षक को हटाने की शक्ति, उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास भी होगी। इस प्रकार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले उसकी नियुक्ति को, समयपूर्व समाप्ति के प्रति अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को एक अवसर देते हुए उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुपालन करने के पश्चात् समुचित और पर्याप्त आधार पर समाप्त कर सकते हैं।

## 59. गंभीर अनियमितताओं के मामले में आगे की नियुक्ति से वंचित करना

यदि सांविधिक लेखापरीक्षक के व्यावसायिक कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदि आवश्यक समझे तो उनके द्वारा नियुक्त समिति की अनुशंसा पर और सांविधिक लेखापरीक्षक को अभिवेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के बाद ऐसी अवधि, जो उचित समझी जाए, के लिए एक सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में आगे की नियुक्ति से वंचित कर सकते हैं जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139(7) में शामिल किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदि उपयुक्त समझा जाए, तो सांविधिक लेखापरीक्षक के विरुद्ध आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आईसीएआई को मामला भेज सकता है।”

## 60. वार्षिक लेखाओं के संदर्भ में उत्तरदायित्व

यद्यपि सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी के वार्षिक लेखाओं पर राय बनाने और व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, उसे उचित रूप से तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव, आंतरिक नियंत्रण और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में उनके उत्तरदायित्व से प्रबंधन को मुक्त नहीं करता है।

## 61. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उस तरीके को निर्देशित करने के लिए अधिकृत है जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी के लेखाओं का लेखापरीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षक को निर्देश देगा। सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा और इसमें अन्य बातों के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हो, उस पर हुई कार्रवाई और कम्पनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव शामिल होंगे।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उपरोक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के अन्दर यह करने का अधिकार होगा:

- (1) कम्पनी के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा करना; और
- (2) ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करना या पूरक टिप्पणी करना।

## 62. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रलेखन

सांविधिक लेखापरीक्षक उन मामलों का कार्यकारी दस्तावेजों के रूप में प्रलेख तैयार करेगा जो यह साक्ष्य मुहैया कराने में महत्वपूर्ण हैं कि लेखापरीक्षा केंद्र सरकार/आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखाकरण, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुसार की गई है।

## 63. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना

लेखापरीक्षा के समापन पर सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

## 64. अभिशासन के विषयों को लेखापरीक्षा को सूचित करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय सांविधिक लेखापरीक्षक

केन्द्र सरकार/आईसीएआई द्वारा निर्धारित सुसंगत लेखाकरण, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानक के अनुपालन में कम्पनी के प्रबंधन को उसके द्वारा जारी अभिशासन के विषयों से संबंधित किसी भी पत्र व्यवहार की एक प्रति महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी अग्रेषित की जाएगी।

#### **65. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की तुलना में सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

सांविधिक लेखापरीक्षक यह भी करेगा कि:

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के साथ, जब कभी आवश्यकता होगी विचार-विमर्श के लिए स्वयं उपलब्ध होगा;

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की अनन्तिम टिप्पणियों के जारी होने के तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यकता होगी तो अनन्तिम टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा बुलायी गई बैठक में उपस्थित होगा;

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आयोजित लेखापरीक्षा समिति, यदि गठित है, की बैठक में उपस्थित होगा;

(4) किए गए कार्य के कार्यकारी दस्तावेजों का पर्याप्त ब्यौरों के साथ, अपनी अभ्युक्तियों और निष्कर्षों के समर्थन हेतु पांच वर्ष तक अभिलेख को रखेगा जब तक कि लम्बी अवधि के लिए अपेक्षित न हो;

(5) जहां उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्षों की प्रामाणिकता और यथातथ्यता को सत्यापित करने की आवश्यकता समझी जाए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपने कार्यकारी दस्तावेजों के हिस्सों को या उद्धरणों को उपलब्ध कराएगा; और

(6) उसे जारी निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

#### **66. लेखापरीक्षा के लिए विधिवत स्वीकृत और लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध कराना**

कम्पनी निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत और सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा कोई अन्य विवरण या दस्तावेज, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वार्षिक लेखाओं का भाग हो, को अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को जारी करने के लिए साठ दिन का समय देकर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उपलब्ध कराएगा। उस पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई कोई भी टिप्पणी

या पूरक टिप्पणी करने के लिए, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को कंपनी द्वारा प्रत्येक हकदार व्यक्ति को लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ भेजी जाएगी और साथ ही कंपनी की वार्षिक आम बैठक में और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरह ही रखा जाएगा।

#### **67. लेखापरीक्षा के लिए कम्पनी के अभिलेख उपलब्ध कराना**

कम्पनी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अधिकारियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित लेखा पुस्तकें, वाउचर, आंकड़े, सूचना और अन्य दस्तावेज शीघ्र मुहैया कराएगी।

#### **68. अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**

सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी के लेखाओं पर राय व्यक्त करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसी इसकी परिभाषा है, मुख्य रूप से लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के गुणवत्ता नियंत्रण का एक साधन है जो सांविधिक लेखापरीक्षक के सुविचारित चयन से आरंभ होता है और उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निकाले गये निष्कर्षों की समीक्षा सहित उसके कार्य पर किये जा रहे निरीक्षण के साथ जारी रहता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी और किसी अन्य कंपनी के वार्षिक लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की परिधि में चयनित लेखाकरण अभिलेखों की जांच और कम्पनी के वार्षिक लेखाओं पर उनके द्वारा व्यक्त राय सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा को सम्मिलित किया जाएगा।

#### **69. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां**

अनुपूरक लेखापरीक्षा में की गई सार्थक और महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक और कम्पनी के प्रबंधन की राय, यदि कोई है, पर विचार करने के बाद जारी किया जाएगा।

#### **70. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (7) के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदि आवश्यक समझे तो वह एक आदेश द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत शामिल किसी भी कंपनी के मामले में, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा कर सकते हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए का प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर लागू होगा।

इस प्रकार, सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के वार्षिक लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्ष के दौरान नमूना लेखापरीक्षा कर सकते हैं। ये लेखापरीक्षाएं

अनुपालन लेखापरीक्षाएं (कंपनी द्वारा अपनी नियमितता, औचित्य, सत्यनिष्ठा की जांच के मद्देनजर किए गए संव्यवहार शामिल हैं) या निष्पादन लेखापरीक्षाएं (मितव्ययिता, दक्षता, और प्रभावकारिता शामिल करते हुए) हो सकती हैं। नमूना लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एक वित्तीय वर्ष से अधिक हो सकता है। लेखापरीक्षा संबंधित अध्यायों में विनियमों के अनुसार की जाएगी।

### **71. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड की स्थापना**

किसी कार्यकलाप, कार्यक्रम या संगठन को निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता से किस स्तर तक प्रचालित किया जाता है, को अभिनिश्चित करने के विचार से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भारत सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड की स्थापना की है। लेखापरीक्षा बोर्ड केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन के निर्णायक क्षेत्रों पर केन्द्रित आवधिक अन्तरालों पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए स्थाई निकाय है। लेखापरीक्षा बोर्ड विषयक मामलों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। मामले एक विशेष सत्त्व या कई सत्त्वों से संबंधित हो सकते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को एक वित्तीय वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

### **72. लेखापरीक्षा बोर्ड का गठन**

उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य के रूप में समय-समय पर यथा अधिसूचित भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त सम्बन्धित क्षेत्र के एक या दो तकनीकी विशेषज्ञ विशेष आमंत्रित सहभागी हो सकते हैं। लेखापरीक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

### **73. लेखापरीक्षा बोर्ड की भूमिका**

लेखापरीक्षा बोर्ड परामर्शी और अनुशंसात्मक क्षमता में कार्य करेगा।

### **74. लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकें**

लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकें उपलब्ध सदस्यों के साथ की जाएगी और इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेखापरीक्षा बोर्ड का सचिव लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा।

### **75. विषयों के चयन तक स्वयं को सीमित करने के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड का स्वनिर्णय**

लेखापरीक्षा बोर्ड अपने स्वनिर्णय से स्वयं को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों के चयन हेतु सिफारिश करने तक सीमित कर सकता है और उसके बाद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा बोर्ड को कोई और संदर्भ दिए बिना लेखापरीक्षा की जा सकती है।

## 76. लेखापरीक्षा बोर्ड की अनुवर्ती बैठकें

जहां लेखापरीक्षा बोर्ड निष्पादन लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन का निर्णय लेता है, वहां पर निम्न के लिए बैठक होगी:

- (1) लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, मार्गनिर्देश और कार्यप्रणाली पर विचार और अनुशंसा करने; और
- (2) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने और इनको अंतिम रूप देने के लिए अनुशंसा करने हेतु।

## 77. लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए कम्पनी और विभाग के प्रतिनिधियों की आवश्यकता

लेखापरीक्षा बोर्ड पूर्ववर्ती विनियम के खंड (2) में संदर्भित बैठक में उपस्थित होने के लिए कम्पनी और सरकारी विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित सरकारी विभाग के सचिव ऐसी बैठक में भाग लेंगे जिसे निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में आयोजित एक्ज़िट कान्फ्रेंस के रूप माना जाएगा।

## 78. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विनियमों का अनुप्रयोग

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उद्यमों की लेखापरीक्षा हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

## 79. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम शामिल करना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों या किसी अन्य सरकारी कंपनी की लेखापरीक्षा के परिणाम भी शामिल किये जा सकते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मामलों पर सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी और सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की जाएगी।

## 80. सरकार और विधान मंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संबंधित सरकार को अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक प्रतिवेदन को संसद/राज्य विधान मंडल, जैसा मामला हो, के प्रत्येक सदन में रखेगी।

## 81. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान और लेखापरीक्षा बकाया समिति के गठन का उत्तरदायित्व

केन्द्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों दोनों के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन पर होता है। निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल अधिसंख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के दो वर्षों से अधिक समय से बकाया रहने की हालत में प्रत्येक ऐसी कम्पनी बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र समाधान और निपटान के लिए कम्पनी के समुचित वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर एक लेखापरीक्षा बकाया समिति का गठन करेगी। संबंधित सरकार इन समितियों के गठन और उनके प्रभावकारी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर सकती है।

**(क) विस्तृत सिद्धांत**

**82. निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों और कम्पनियों के अलावा निकायों एवं प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 (2), 19 (3), 19ए और 20 में सन्निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

**83. अभिव्यक्ति 'निकाय' और 'प्राधिकरण' का अर्थ**

अभिव्यक्ति 'प्राधिकरण' का तात्पर्य संविधान अथवा विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुसार उसमें निहित शक्ति अथवा अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अथवा निकाय है। अभिव्यक्ति 'निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों, चाहे निगमित हों अथवा अनिगमित, के समूह से है और इसमें विशिष्ट संविधि के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक संस्थान अथवा संगठन, अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा किसी अन्य संविधि के अन्तर्गत पंजीकृत समिति, स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन, शहरी अथवा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थान, सहकारी समिति, समिति अथवा क्लब आदि शामिल हैं।

**84. अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का निकायों और प्राधिकरणों पर लागू होना**

अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान उन निकायों और प्राधिकरणों पर लागू होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं।

**85. लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जाने वाले निकायों और प्राधिकरणों के लेखे**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले निकाय अथवा प्राधिकरण समय अनुसूची, जिसे ऐसे निकाय अथवा प्राधिकरण को शासित करने वाली विधियों द्वारा अन्यथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाए, के अनुसार विधिवत अनुमोदित लेखे लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे।

**(ख) संघ अथवा राज्य राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा**

## 86. अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम की धारा 14 (1) निकाय अथवा प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करने का प्राधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देती है यदि

(क) उस वित्तीय वर्ष में इसे भुगतान किए गए सरकारी अनुदान अथवा कर्ज की राशि पच्चीस लाख रूपये से कम नहीं है और साथ ही (ख) ऐसे अनुदान अथवा ऋण की राशि वर्ष के दौरान इसके कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है। इस धारा के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निकाय अथवा प्राधिकरण पर लागू किसी विधि के प्रावधानों के अध्वधीन है।

(2) अधिनियम की धारा 14 (2) में प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, के पूर्व अनुमोदन से निकाय अथवा प्राधिकरण, जहाँ वित्त वर्ष में निकाय अथवा प्राधिकरण को सरकारी अनुदानों अथवा ऋणों की राशि एक करोड़ रूपये से कम नहीं है, की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा कर सकते हैं।

(3) जहाँ निकाय अथवा प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा एक विशेष वर्ष के लिए धारा 14 की उप धारा (1) या (2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को और दो वर्षों की अवधि के लिए इसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा जारी रखने के लिए अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत प्राधिकार दिया गया है यद्यपि उप धारा (1) या (2) में कथित शर्तें आगामी किन्हीं दो वर्षों के दौरान पूरी नहीं भी होती हों।

## 87. अनुदानों और ऋणों की संस्वीकृति और प्रतियों का अग्रेषण

सरकारी विभागों और अन्य अधिकारी जो किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को अनुदानों और/अथवा ऋणों की संस्वीकृति के लिए सशक्त है, द्वारा:

(1) अनुदान अथवा ऋणों की संस्वीकृति के प्रत्येक पत्र की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा कार्यालय को पृष्ठांकित की जाएगी;

(2) निकाय अथवा प्राधिकरण के बजटीय व्यय की राशि का उल्लेख संस्वीकृति में किया जाएगा; और

(3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता प्राप्त निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ कहीं और जब भी आवश्यक हो, लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा अधिकारी को सभी सुसंगत अभिलेख उपलब्ध करायें और इसके बारे में आवश्यक उल्लेख अनुदान और/अथवा ऋण की संस्वीकृति के पत्र में किया गया है।

## 88. सहायता प्राप्त कर रहे निकायों और प्राधिकरणों के विवरण का अग्रेषण

सरकारें और विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदानों और/अथवा ऋणों को संस्वीकृत करते हैं वे ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल दस लाख रूपये अथवा उससे अधिक के अनुदानों और/अथवा ऋणों का भुगतान किया गया है, प्रत्येक वर्ष जुलाई की समाप्ति तक लेखापरीक्षा कार्यालय को निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक विवरण भेजेंगे:

- (क) सहायता की राशि;
- (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी; और
- (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

## 89. सरकारी सहायता की प्रमात्रा की संगणना

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षणीयता को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकारी सहायता की प्रमात्रा निकालने के लिए:

- (1) निकाय अथवा प्राधिकरण को प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) की कुल राशि को एक साथ गिना जाएगा; संघ सरकार, राज्य सरकार (सरकारों) और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (सरकारों) द्वारा निकाय अथवा प्राधिकरण को प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) की राशियों का कुल योग किया जाएगा; और
- (2) वर्ष के दौरान प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) की राशि में पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान निकाय अथवा प्राधिकरण को प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) में से अव्ययित कोई राशि जो सरकार को वापस नहीं की गई, को शामिल किया जाएगा।

## 90. प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण और वित्तीय अभिलेखों की समीक्षा

पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय अथवा प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा व्यय और प्राप्तियों के लेखापरीक्षा के संबंध में निर्धारित विनियम अनुसार की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इसके लेखाओं पर राय व्यक्त करने के लिए इसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय अभिलेखों एवं इसके लेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित जांच की विवेचनात्मक समीक्षा भी कर सकते हैं।

## 91. लेखापरीक्षा के परिणामों का सम्प्रेषण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनका शामिल किया जाना

लेखापरीक्षा कार्यालय निकाय अथवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लेखापरीक्षा के परिणाम भेजेगा और सरकार (सरकारों) के विभाग (विभागों) जिसने निकाय अथवा प्राधिकरण के अनुदान (अनुदानों) अथवा ऋण (ऋणों) का भुगतान किया है को भी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा। लेखापरीक्षा में ध्यान में आये महत्वपूर्ण मामलों, जिन्हें विधानमण्डल की जानकारी में लाया जाना आवश्यक है, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया जा सकता है जिसे उपयुक्त विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किया जाता है।

### (ग) विशिष्ट प्रयोजन के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दिये गये अनुदानों एवं ऋणों के मामले में संवीक्षा

## 92. अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जहाँ कोई अनुदान अथवा ऋण किसी प्राधिकरण अथवा निकाय, जो विदेशी राज्य अथवा अन्तरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, को भारत अथवा किसी राज्य की अथवा विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया गया है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करने का प्राधिकार है जिसके द्वारा मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उन शर्तों, जिनके अधधीन अनुदान या ऋण दिये गये, को पूरा करने के प्रति स्वयं सन्तुष्ट होता है।

(2) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, यदि उनकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् वह ऐसे अनुदान अथवा ऋण को प्राप्त करने वाले किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के मामले में ऐसी किसी संवीक्षा करने से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को मुक्त कर सकता है।

## 93. अनुदानग्राही निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों एवं लेखाओं तक अभिगम

(1) धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं जिनके द्वारा मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सरकारी सहायता से सम्बद्ध शर्तों को पूरा करने के प्रति स्वयं सन्तुष्ट होता है, की संवीक्षा करने के प्रयोजनार्थ अनुदानग्राही निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों एवं लेखाओं के लिए समुचित पूर्व सूचना के साथ अभिगम रखने के लिए प्राधिकृत है।

(2) धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सिवाय इसके कि जबकि वह राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल

या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, उस समय जबकि वह धारा 15(1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहे हों, किसी ऐसे निगम की, जिसे कोई ऐसा अनुदान या कर्ज़ दिया जाता है जैसा धारा 15(1) में निर्दिष्ट है, खातों और लेखाओं तक अभिगम का अधिकार नहीं होगा यदि वह विधि, जिसके द्वारा या जिसके अधीन ऐसा निगम स्थापित किया गया है, ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से भिन्न किसी एजेंसी द्वारा किये जाने का उपबन्ध करती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श और संबंधित निगम को इस बारे में अभिवेदन करने का समुचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई प्राधिकार नहीं किया जाएगा।

#### **94. लेखापरीक्षा के परिणामों का सम्प्रेषण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनको शामिल करना**

लेखापरीक्षा कार्यालय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार की गई प्रक्रियाओं की संवीक्षा के परिणामों को सरकार (सरकारों) के विभाग (विभागों), जिन्होंने निकाय अथवा प्राधिकरण को अनुदान (अनुदानों) और/अथवा कर्ज़ (कर्जे) प्रदत्त किये, को भेजेगा। महत्वपूर्ण मामलों जिन्हें विधान मण्डल की जानकारी में लाया जाना आवश्यक है, को **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक** के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया जा सकता है जिसे उपयुक्त विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किया जाता है।

#### **(घ) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत गठित निगमों की लेखापरीक्षा**

#### **95. अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत निगमों की लेखापरीक्षा**

अधिनियम की धारा 19 (2) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का निष्पादन और प्रयोग संबंधित विधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

#### **96. निगमों की लेखापरीक्षा करना**

संबंधित विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित निगमों की लेखापरीक्षा का किया जाना इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

#### **97. निदेशक बोर्ड एवं लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की कार्यसूची टिप्पणियों और कार्यवृत्तों की प्रतियाँ लेखापरीक्षा को भेजना**

प्रत्येक निगम, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है अपने शासी निकाय, जो कुछ भी नाम हो, और लेखापरीक्षा समिति, यदि बन गई हो, की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त टिप्पणियाँ की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजेगा।

## 98. लेखाओं की लेखापरीक्षा में अपेक्षित लागू मानक और सत्यापन

जहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक किसी निगम का एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, वहाँ वित्तीय लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा सत्यापित करेगी कि क्या प्रणाली एवं प्रक्रिया मौजूद है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई है कि लेखाओं में:

- (1) लागू विधि (विधियों), नियमों और प्रशासनिक अनुदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
- (2) आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है;
- (3) वित्तीय संव्यवहारों के बारे में पर्याप्त प्रकटन किया गया है; और
- (4) निगम की वित्तीय स्थिति का सत्य और उचित प्रस्तुतीकरण किया गया है।

## 99. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा से इतर लेखापरीक्षा

(1) निगम के लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निम्नलिखित सहित किसी अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा कर सकते हैं:

(क) निगम द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच जो उनकी वैधता, सक्षमता एवं औचित्य की जाँच करने और उल्लंघन, अपशिष्ट, कुप्रबन्धन, धोखा-धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं के मामलों पर रिपोर्ट करने के विचार से हों; और

(ख) उस स्तर, जिस तक एक निगम, कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मितव्ययी रूप से, दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से परिचालन करते हैं, को अभिनिश्चित करने के विचार से निष्पादन लेखापरीक्षा।

(2) उपर्युक्त लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को एक वित्त वर्ष से अधिक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(3) अध्याय 6 और 7 में उल्लिखित विनियमों को सुसंगत सीमा तक उप विनियमों (1) और (2) के अन्तर्गत की गई अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लागू किया जाएगा।

## 100. परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र ऐसी अभ्युक्तियों और अर्हताओं के अध्यधीन हो सकता है जैसा कि परिस्थितियाँ उचित ठहरायें। यदि अभ्युक्तियाँ और अर्हताएं ऐसे स्वरूप की हैं जिससे निगम की वित्तीय स्थिति के

लेखाओं में सत्य और उचित प्रस्तुतीकरण के प्रमाणीकरण का औचित्य न हो तो एक प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

#### **101. ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अग्रेषण**

वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा जो लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र का भाग होगा। यदि इसमें कोई ऐसी अभ्युक्ति दी गई है जिस पर सरकार का उत्तर आवश्यक है तो इसकी एक प्रति सरकार को भी भेजी जाएगी।

#### **102. ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर**

निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (और सरकार, जहाँ ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति इसे भेजी जाती है) इसके जारी करने की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर अथवा यथा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि के अन्दर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर भेजेगा।

#### **103. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना**

लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व निगम (और सरकार यदि उसे प्रति भेजी गई है) से प्राप्त हुए उत्तर पर विचार करेगा। यदि विशिष्ट अवधि अथवा किसी सहमत विस्तारित अवधि के अन्दर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो लेखापरीक्षा अधिकारी इस धारणा पर कार्यवाही कर सकता है कि निगम (और सरकार जहाँ ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति इसे भेजी गई है) के पास इस मामले में कोई टिप्पणी, अभ्युक्ति और स्पष्टीकरण नहीं है।

#### **104. लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का सरकार को अग्रेषण**

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र का भाग बनेगा, निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रति भेजते हुए सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को भेजेगा।

#### **105. शासी निकाय और संबंधित विधान मंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के समक्ष लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को वह तारीख सूचित करेगा जिस तारीख को इन्हें शासी निकाय को प्रस्तुत किया गया है। सरकार प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अधिनियम की धारा 19ए के अनुसार उपयुक्त विधान-मंडल (मंडलों) के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सचिव विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित करेगा।

## 106. लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा लेखापरीक्षा के परिणाम सूचित करना

सरकारी निगमों की अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा सहित अन्य लेखापरीक्षा के परिणामों को विनियम 136 के अनुसार सूचित किया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को संबंधित विधान मंडल के समक्ष पटल पर रखा जाता है। तथापि टिप्पणी किये जाने वाले प्रस्तावित मामलों पर निगम और सरकार को स्पष्टीकरण का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किसी टिप्पणी को निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा।

## 107. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए उत्तरदायित्व और 'लेखापरीक्षा बकाया समिति' का गठन

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व निगम के प्रबन्धन का है। दो वर्षों से अधिक से बकाया रहे निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मामले में प्रत्येक ऐसा निगम बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र निपटान के लिए निगम के उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारियों की एक 'लेखापरीक्षा बकाया समिति' का गठन करेगा। संबंधित सरकार इन समितियों के गठन और उनके प्रभावी कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।

## 108. निगम जहाँ लेखापरीक्षा बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया अथवा जहाँ प्राथमिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई

केन्द्रीय निगमों के मामले में जहाँ लेखापरीक्षा बोर्ड का गठन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया है वहाँ अध्याय 7 के विनियम सुसंगत सीमा तक लागू होंगे। इसके अतिरिक्त निगमों के मामले में जहाँ प्राथमिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत की गई है वहाँ अध्याय 7 के विनियम सुसंगत सीमा तक लागू होंगे।

## (ड) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई राज्य निगमों एवं अन्य निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

### 109. अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार राज्य का राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, जहाँ उसकी यह राय है कि ऐसा किया जाना लोक हित में आवश्यक है, वहाँ राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है और जहाँ ऐसा अनुरोध किया गया है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेंगे और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए निगम के खातों तथा लेखाओं की जाँच का अधिकार होगा।

ऐसा कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं लिया जाता और जब तक निगम को ऐसी लेखापरीक्षा के प्रस्ताव के संबंध में अभिवेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

#### 110. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, जिनकी लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, लेखापरीक्षा धारा 20 (3) में उल्लिखित परन्तुक के अध्यक्षीन राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, द्वारा उनसे परामर्श करने के पश्चात और उनके एवं संबंधित सरकार के मध्य यथा सहमत निबंधन एवं शर्तों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी जा सकती है।

(2) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ताव दे सकते हैं कि उन्हें निकाय अथवा प्राधिकरण, जिसकी लेखापरीक्षा विधि द्वारा उन्हें सौंपी नहीं गई है, के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकार दिया जा सकता है, यदि उनकी यह राय है कि ऐसी लेखापरीक्षा करनी आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा उस निकाय अथवा प्राधिकरण में पर्याप्त राशि का निवेश किया गया है या अग्रिम दिया गया है और उप-धारा (3) में उल्लिखित परन्तुक के अध्यक्षीन राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, उस निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत कर सकते हैं।

(3) अधिनियम की धारा 20 (3) के अन्तर्गत, धारा 20 (1) या 20 (2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को केवल तभी सौंपी जाएगी यदि राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्ताव के बारे में अभिवेदन करने के लिए संबंधित निकाय अथवा प्राधिकरण को समुचित अवसर देने के पश्चात्, सन्तुष्ट है कि लोक हित में ऐसा करना व्यावहारिक है।

#### 111. धारा 20 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करने के लिए शर्तें

धारा 20 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के अनुरोध पर किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करने के लिए शर्तें निम्न हैं:

(1) यदि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सहमति दी जाएगी तो लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी जाएगी।

(2) व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है यदि सरकार या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुरोध किया गया है;

(3) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, विस्तार और पद्धति का निर्णय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा;

(4) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपनी ओर से और उनके द्वारा जारी निर्देशों या मार्गनिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा करने के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक को नियुक्त कर सकता है;

(5) निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा ऐसे प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार उसी तरह होंगे जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में रखते हैं;

(6) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा इस बारे में प्राधिकृत अधिकारी, निकाय अथवा प्राधिकरण के शासी निकाय को लेखापरीक्षा के परिणामों को सूचित करेंगे। शासी निकाय अपनी अभ्युक्तियों के साथ संबंधित सरकार को प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा इस बारे में प्राधिकृत अधिकारी प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित सरकार को भी भेजेगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संसद अथवा राज्य विधान मंडल अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल को लेखापरीक्षा के परिणामों को सूचित करने का अधिकार होगा; और

(7) निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये किसी व्यय, जिसमें प्राथमिक लेखापरीक्षक की सेवाओं के लिए किये गये व्यय, यदि कोई हो, शामिल होंगे, का भुगतान निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।

## **112. संघ सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपने के लिए प्रस्ताव**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सौंपने के लिये संघ सरकार, बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र सहित, द्वारा प्रस्ताव नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजा जाएगा।

## **113. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपने के लिए प्रस्ताव**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सौंपने के लिए राज्य सरकार अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्ताव सम्बंधित महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजे जाएंगे।

#### 114. लेखापरीक्षा सौंपने के लिए पत्र

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सौंपने का पत्र राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के नाम में जारी किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ पत्र में यह दर्शाया जाएगा कि निकाय अथवा प्राधिकरण को समुचित अवसर देने के संबंध में आवश्यकता सहित निर्धारित आवश्यकताएं, जहाँ लागू हो, सन्तुष्ट कर ली गई हैं।

#### 115. विधियों के प्रावधानों और सहमत निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19 (3) अथवा धारा 20 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संबंधित सरकार के मध्य सहमति होने पर सुसंगत विधियों के प्रावधानों और निबंधनों एवं शर्तों, जहाँ लागू हो, के अनुसार की जाएगी। उपर्युक्त के अधधीन, ऐसे निगमों और निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा इन विनियमों के अनुसार की जाएगी।

#### 116. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडलों द्वारा गठित निगमों की लेखापरीक्षा तथा अन्य सौंपी गई लेखापरीक्षा

इस अध्याय के खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रावधानों को, राज्य विधान मण्डल एवं संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा गठित निगमों और अन्य निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनकी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 (3) और धारा 20 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, सुसंगत सीमा तक यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

**117. लेखाओं के रखरखाव और लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्था**

संविधान के अनुच्छेद 243 जे और 243 जेड के अंतर्गत राज्य का विधान मंडल पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं के लेखापरीक्षण के संबंध में विधि द्वारा प्रावधान बना सकता है। स्थानीय निधि लेखापरीक्षक, जो सामान्य रूप से राज्य सरकार का एक अधिकारी है, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। कुछ राज्यों में स्थानीय निधि लेखाओं का परीक्षक, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिकारी है, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

**118. अधिनियम की धारा 14, 19, 20 जहाँ लागू है, के अंतर्गत लेखापरीक्षा**

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं जहाँ ऐसे निकाय भारत की या किसी राज्य की या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों द्वारा वित्तपोषित किये जाते हैं और अधिनियम की इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षणीय है। इन मामलों में, ऐसी लेखापरीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विनियम लागू होंगे। ये विनियम, जिस सीमा तक सुसंगत हैं, उन मामलों में भी लागू होंगे जहाँ पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 या धारा 20 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गई है।

**119. लेखाओं और बजट के नमूना प्रपत्र**

नमूना प्रपत्र जिसमें पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखे रखे जा सकते हैं और प्रपत्र जिनमें उनके बजट तैयार और प्रस्तुत किये जा सकते हैं, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया गया है।

**120. तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) के संबंध में व्यवस्था**

कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता का कार्य अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द किया गया है।

तकनीकी मार्गनिर्देश और सहायता के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और स्थानीय निधि लेखापरीक्षक के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जैसा विभिन्न सरकारी आदेशों में समाविष्ट हैं, निम्नवत है:

- (1) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक आगामी वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक तैयार करेंगे और इसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेंगे;
- (2) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ विभिन्न अधिनियमों और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित संविधि तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार होंगी;
- (3) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा चयनित स्थानीय निकायों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्रणाली सुधार पर सलाह देने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनायी जा रही विद्यमान प्रणालियों के सुधार के लिए सुझाव देने के विचार से उसकी समीक्षा करेंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसे निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता को भी मानीटर करेंगे।
- (4) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक ऐसे प्रपत्र में विवरणी भेजेंगे जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सलाह देने और मानीटर करने के लिए निर्धारित किया जाए।
- (5) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तकनीकी मार्गनिर्देश देने के लिए कुछ पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच करेंगे। नमूना जांच का प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुसरण के लिए स्थानीय निधि लेखापरीक्षक को भेजा जाएगा। स्थानीय निधि लेखापरीक्षक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफों के अनुपालन के लिए उसी ढंग से कार्रवाई करेगा जैसे कि ये उसके अपने प्रतिवेदन हों।
- (6) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा देखी गई गंभीर अनियमितताएं जैसे प्रणाली में कमियां, नियमों की गंभीर अवहेलना और धोखाधड़ी, आपत्तियों के मौद्रिक मूल्य का ध्यान किए बिना, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित की जाएगी।
- (7) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से अपने संगठन में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेंगे।
- (8) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेंगे।

### 121. लेखाओं का प्रमाणन लेखापरीक्षा में शामिल न होना

जब तक विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए पूर्ववर्ती विनियम के पैराग्राफ (5) के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा में पंचायती राज संस्थानों या शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्रमाणन शामिल नहीं है।

### 122. निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसरण में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की भूमिका

स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण रिपोर्ट में पैराग्राफों के अनुसरण के संबंध में इस अध्याय के विनियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने के बावजूद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) भी अपनी नियमित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

### 123. लेखापरीक्षा के परिणाम सरकार को अग्रेषित करना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) विनियम 120(5) तथा टीजीएस के तहत अन्य कार्यों के दायरे के अन्दर पूर्व वर्ष के दौरान उनके कार्यालय द्वारा की गई पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणामों सहित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जून के अंत तक संबंधित सरकार के सचिव या सचिवों को भेजेंगे। सचिव सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त उपचारी कार्रवाई अविलम्ब की जाती है और की गई कार्रवाई की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दी जाती है। उन राज्यों में जहां स्थानीय निधि लेखा के परीक्षक स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा करता है, वहां तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट को स्थानीय निधि लेखा के परीक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

### 124. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम शामिल करना

जहां पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाते हैं और विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं वहां लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के परिणामों की सूचना देने के संबंध में प्रासंगिक विनियम लागू होंगे।

लेखापरीक्षण मानकों के मार्गदर्शन सिद्धांत

**125. प्राधिकार और उद्देश्य**

1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संगठन के साथ-साथ उसके कार्मिकों के लिए भी पेशेवर लेखापरीक्षण मानक निर्धारित करते हैं।
2. लेखापरीक्षण मानक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सभी लेखापरीक्षाओं पर लागू प्रतिमान स्थापित करते हैं।
3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुसार सभी लेखापरीक्षाएं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की जाएंगी।
4. लेखापरीक्षण मानक उन लेखापरीक्षा क्रियाविधियों का निर्धारण करेंगे जो लेखापरीक्षा पर लागू होंगी तथा मानदंड अथवा बेंचमार्क का गठन करेगी जिसके प्रति लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है।
5. लेखापरीक्षण मानक वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संयोजन सहित सभी प्रकार की लेखापरीक्षाओं पर लागू होंगे।
6. भारत के संविधान, अधिनियम और अन्य प्रासंगिक संविधियों, मौजूदा नियमों तथा इन विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, लागू अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप समय-समय पर लेखापरीक्षण मानकों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अद्यतित, संशोधित या आशोधित किया जाएगा।

**126. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के घटक**

सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के घटक निम्न प्रकार हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण मानकों में जैसाकि विवरण दिया गया है और अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा लागू विशेष रूप से जिनका प्रावधान किया गया है।

- (क) तीन पार्टियां (लेखापरीक्षक, जिम्मेदार पार्टी तथा अभिप्रेत प्रयोगकर्ता)
- (ख) विषय-वस्तु, मानदंड तथा विषय वस्तु की जानकारी
- (ग) कार्य का प्रकार (सत्यापन और प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग)
- (घ) सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में विश्वास तथा आश्वासन और आश्वासन के स्तर

## 127. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सिद्धांत तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत

1. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सामान्य सिद्धांत जिन पर लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व तथा लेखापरीक्षा के दौरान एक से अधिक बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए उनमें नैतिकता और स्वतंत्रता, पेशेवर निर्णय, उचित सावधानी और संदेहवृत्ति, गुणवत्ता नियंत्रण, लेखापरीक्षा दल प्रबंधन और कौशल, लेखापरीक्षा जोखिम, महत्व, दस्तावेजीकरण तथा सूचना जैसा कि लेखापरीक्षण मानको में दिए गए हैं, शामिल है।
2. लेखापरीक्षा प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों का विवेचन लेखापरीक्षण मानको में किया गया है तथा उनमें निम्नलिखित शामिल हैं

### क. आयोजना

- (i) लेखापरीक्षा कार्य के निबंधन स्थापित करना
- (ii) सत्व की जानकारी प्राप्त करना
- (iii) जोखिम निर्धारण करना
- (iv) महत्वपूर्णता निश्चित करना
- (v) धोखाधड़ी के जोखिम की पहचान करना, जैसे भी लागू हो
- (vi) लेखापरीक्षा योजना विकसित करना-लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली, संसाधन आवंटन, लेखापरीक्षा के चरणों की समयसीमा

### ख. लेखापरीक्षा करना

- (i) लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु नियोजित लेखापरीक्षा क्रियाविधि निष्पादित करना
- (ii) लेखापरीक्षा साक्ष्य का मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष निकालना

### ग. रिपोर्टिंग तथा अनुवर्तन

- (i) प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना
- (ii) सुसंगतता के अनुसार रिपोर्ट किए गए मामलों का अनुवर्तन

लेखापरीक्षा आयोजना, लेखापरीक्षा का संचालन और रिपोर्टिंग

**128. लेखापरीक्षणीय सत्त्वों की अद्यतित सूची का रखरखाव**

सभी लेखापरीक्षा कार्यालय सभी सरकारी विभागों द्वारा लागू किए जा रहे अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों सहित अपने संबंधित लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकारों के अधीन, लेखापरीक्षा सत्त्वों की अद्यतित सूची का रखरखाव करने हेतु जिम्मेदार होंगे। विभागाध्यक्ष उनके द्वारा प्रशासित अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों सहित, उनके विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे लेखापरीक्षणीय सत्व की सूची में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन किए जाने के तुरंत बाद अथवा लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जानकारी का अनुरोध किए जाने पर वर्ष में दो बार जून और दिसंबर में स्वयं लेखापरीक्षा कार्यालय को आपूर्त करेंगे।

**129. लेखापरीक्षा आयोजना**

(1) लेखापरीक्षा आयोजना में शामिल हैं

(क) लेखापरीक्षा कार्यों की पहचान, एक या अधिक लेखापरीक्षणीय सत्त्वों से संबंधित, वार्षिक और/या दीर्घावधिक लेखापरीक्षा योजना के भाग के रूप में, ऐसे कार्यों की वित्तीय, अनुपालन या निष्पादन लेखापरीक्षा या सभी संयुक्त या उसके कुछ पहलुओं की हो सकती है;

(ख) आयोजना वैयक्तिक लेखापरीक्षा कार्य

(2) वार्षिक या दीर्घावधिक लेखापरीक्षा योजना का विकास जोखिम और अन्य कारकों के निर्धारण पर आधारित है, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(3) वैयक्तिक लेखापरीक्षा कार्यों की आयोजना में मौटे तौर पर शामिल हैं

(क) लेखापरीक्षा किए जा रहे सत्व/कार्यक्रम/गतिविधि आदि के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना

(ख) लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और दृष्टिकोण को परिभाषित करना

(ग) लेखापरीक्षा क्रियाविधियों और समयसीमा के स्वरूप, समय और सीमा को परिभाषित करना

(4) वार्षिक या दीर्घावधिक योजना तैयार करने और वैयक्तिक लेखापरीक्षा कार्यों की आयोजना के लिए विस्तृत क्रियाविधियों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

**130. लेखापरीक्षा की अग्रिम सूचना**

लेखापरीक्षा कार्यालय लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को पर्याप्त अग्रिम सूचना देगा। लेखापरीक्षा कार्यालय अपनी लेखापरीक्षा योजना के अनुमोदन होते ही लेखापरीक्षणीय सत्त्वों को अग्रिम

सूचना दे सकते हैं। लेखापरीक्षा की सूचना में लेखापरीक्षणीय सत्त्व के दौरे की अवधि, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य, तथा लेखापरीक्षा दल के संयोजन सहित लेखापरीक्षा की सम्भावित अवधि बताई जाएगी। उन मामलों में जहां लेखापरीक्षा में आकस्मिक जांच का तत्व शामिल है, वहाँ पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं है।

कार्यालय का प्रभारी अधिकारी ऐसी सूचना की पावती देगा और लेखापरीक्षा दल के दौरे की अवधि के दौरान मुख्यालय में उपलब्ध रहने का पूर्ण प्रयास करेगा।

प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में, लेखापरीक्षा के साथ संपर्क के लिए नामित कर सकता है। हालाँकि, प्रभारी अधिकारी, इन विनियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार बने रहेंगे, जहाँ तक वे लेखापरीक्षा करने को सुविधाजनक बनाने से संबंधित हैं।

### **131. लेखापरीक्षा करने के लिए सुविधाओं का प्रावधान**

लेखापरीक्षणीय सत्त्व के कार्यालय के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह लेखापरीक्षा दल को कार्यालयी उपयोग हेतु तथा वरिष्ठता/रैंक/वेतनमान वाले अपने स्वयं के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान लेखापरीक्षणीय सत्त्व में उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष यथोचित एवं समुचित कार्यालय स्थान अन्य कार्यालयीन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

### **132. लेखापरीक्षा शुरू होने पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक**

जैसे ही लेखापरीक्षा कार्य आरम्भ होता है, लेखापरीक्षा दल का लीडर/पर्यवेक्षक अधिकारी प्रभारी अधिकारी के साथ एक बैठक कर सकता है। बैठक में, लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं मापदण्ड, आन्तरिक नियंत्रण की सामान्य स्थिति और ध्यान देने योग्य क्षेत्र, चिन्ता अथवा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक की कार्रवाई का दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अभिलेख रखा जा सकता है। यदि बैठक आयोजित नहीं हो सकती है, तो उसे भी दर्ज किया जाएगा।

### **133. लेखापरीक्षा मांगपत्र, जांच और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी करना**

(1) लेखापरीक्षा के दौरान, हालांकि लेखापरीक्षा मांगपत्र तथा जांच (जहां भी आवश्यक हो), लेखापरीक्षा दल के सदस्यों द्वारा जारी किए जा सकते हैं, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लेखापरीक्षा टीम लीडर/पर्यवेक्षी अधिकारी के अनुमोदन से लेखापरीक्षा दल द्वारा जारी की जाएंगी। सभी पत्राचार क्रमांकित होंगे।

(2) प्राथमिकता से, सभी ऐसे पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी होंगे। ऑफलाइन/हस्त्य रूप से जारी कोई भी पत्राचार वर्कफ्लो में अपलोड किया जाएगा/शीघ्र अति शीघ्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

### **134. लेखापरीक्षा जांचों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर**

लेखापरीक्षणीय सत्त्व में लेखापरीक्षा का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय में

लेखापरीक्षा जांचों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उपयुक्त उत्तर दिए गए हैं और उत्तर में दिए गए विवरण अभिलेखों के अनुसार सही हैं ताकि ऐसे उत्तरों में लेखापरीक्षा द्वारा वर्णित तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता की पुष्टि की जा सके और लेखापरीक्षा द्वारा आगे प्रसंस्कृत किए जाने पर विवादास्पद न हो। ऐसे सभी उत्तर प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे या उनके अनुमोदन का उन पर संकेत होगा।

### 135. लेखापरीक्षा की समाप्ति पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक

लेखापरीक्षा का टीम लीडर/पर्यवेक्षी अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी लेखापरीक्षा की समाप्ति पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रभारी अधिकारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में शामिल तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करेगा। यदि असहमति का कोई मुद्दा हो तो उसका उल्लेख किया जाए और उसके निराकरण के उद्देश्य से बैठक के दौरान चर्चा की जाए। प्रभारी अधिकारी लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर अपनी अभ्युक्तियाँ, यदि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में पहले नहीं दी गई हैं, भी प्रस्तुत करेगा। उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति लेखापरीक्षणीय सत्त्व के उत्तर के रूप में शामिल किया जाएगा। जहाँ आवश्यक तथा उचित हो, लेखापरीक्षा दल द्वारा प्रणालीगत कमियों का उपचार करने और नियंत्रण में सुधार करने के लिए सिफारिशों की जा सकती हैं। बैठक की कार्यवाही का दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अभिलेख रखा जाएगा। यदि बैठक आयोजित न की जा सके तो इसे दर्ज किया जाएगा।

### 136. लेखापरीक्षा समापन पर पत्राचार के प्रकार

(1) लेखापरीक्षा के स्वरूप और प्रकार के आधार पर लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों/लेखापरीक्षा का परिणाम, लेखापरीक्षा कार्यों के समापन पर निम्नलिखित रूप में जारी किया जाता है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है;

(क) वित्तीय लेखापरीक्षा के मामले में, मसौदा लेखापरीक्षा मत, मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर), सांविधिक लेखापरीक्षक के मत हेतु अनुपूरक मसौदा अभ्युक्तियाँ या एक मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(ख) अनुपालन लेखापरीक्षा के मामले में, निरीक्षण रिपोर्टें वैयक्तिक लेखापरीक्षा इकाइयों या कार्यान्वयन इकाइयों के अध्यक्षों को संबोधित की जाती है; मसौदा पैराग्राफ या मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को संबोधित की जाती है

(ग) निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में, मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट शीर्ष सत्त्व के अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष या सरकार को संबोधित की जाती है

(2) उपर्युक्त इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार जारी किए जाएंगे।

(3) लेखापरीक्षणीय सत्व और/या विभाग/सरकार से प्राप्त हुई प्रतिक्रिया और लेखापरीक्षा द्वारा आगे के निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियां और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्टों को लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों में शामिल करने के लिए या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूप में विकसित किया जाता है।

### **137. सरकार को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ की सूचना तथा उस पर चर्चा**

(1) ऐसी समयावधि, जो निर्दिष्ट की जाए, के भीतर सरकार की टिप्पणियां, अवलोकन और स्पष्टीकरण सूचित करने के लिए सरकार के सम्बन्धित सचिव को नाम से, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ मसौदा पैराग्राफ की एक प्रति भेजेंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उक्त अवधि के भीतर परस्पर सुविधा से सचिव के साथ मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ पर चर्चा का प्रस्ताव भी करेंगे। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मामले में चर्चा आवश्यक नहीं है क्योंकि इस पर इन विनियमों के अनुसार एक्जिट कान्फ्रेंस में सचिव के साथ अलग से चर्चा की जाती है।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सरकार के वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग के सचिव के नाम से, मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ की एक प्रति साथ-साथ भेजेंगे।

(3) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ की अभ्युक्तियां लेखापरीक्षा साक्ष्य द्वारा समर्थित होंगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अपने पास उपलब्ध किसी सुसंगत दस्तावेज तथा साक्ष्य की प्रतियां, जिनकी सरकारी विभाग द्वारा अपेक्षा की जाए, मुहैया कराएंगे।

### **138. सरकार द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ का उत्तर**

(1) सरकार के संबंधित विभाग का सचिव,

(क) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ, जैसे ही यह प्राप्त होता है, की प्राप्ति की पुष्टि करेगा या पुष्टि कराएगा तथा

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नाम से और लिखित में मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ पर सरकार की टिप्पणियां, अभ्युक्तियां और स्पष्टीकरण सूचित करेगा। उत्तर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा या सचिव द्वारा अनुमोदन का उस पर संकेत होगा।

(2) सरकार के सचिव के उत्तर में निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

(क) क्या मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों तथा आंकड़ों को विभाग स्वीकार करता है, यदि नहीं, तो विधिवत प्रमाणित सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्य द्वारा यथा समर्थित

कारण;

(ख) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में शामिल मामलों पर सरकार की टिप्पणियां, अभ्यक्तियां और स्पष्टीकरण;

(ग) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया;

(घ) की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारी कार्रवाई तथा

(ङ) विभाग की कोई अन्य अभ्यक्तियां अथवा टिप्पणियां।

(3) विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी, अन्तिम रूप देने और प्रस्तुत करने की अनुसूची के अनुरूप महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ का उत्तर भेजने के लिए समय वृद्धि के लिए सरकार के सम्बन्धित सचिव द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार कर सकते हैं। प्रत्येक ऐसे अनुरोध में

(क) निर्धारित समय के आगे समयवृद्धि मांगने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, और

(ख) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को निश्चित तारीख, जिस तक मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ का अन्तिम उत्तर भेजा जाएगा, बतायी जाएगी।

(4) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), यदि निर्धारित अवधि या सहमत समय वृद्धि के भीतर अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इस परिकल्पना पर आगे कार्रवाई करेंगे कि मामले में सरकार की कोई टिप्पणी, अभ्यक्ति तथा स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे मामलों में मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्य, आंकड़े तथा संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य की यथार्थता के लिए सरकार उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

(5) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के उत्तर पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

उत्तर को देखते हुए मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ को आशोधित किया जा सकता है या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सकता है।

### **139. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अन्तिम रूप दिए गए पैराग्राफों की सूचना**

राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के मामले में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ को अन्तिम रूप देने के बाद सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव तथा वित्त विभाग के सचिव को नाम से अन्तिम रूप दिए

गए लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पैराग्राफ की एक प्रति भेजेंगे। संघ सरकार के मामले में, अन्तिम रूप दिए गए लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पैराग्राफ की प्रतियां सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव को भेजी जाएंगी।

**140. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रारूप, अन्तर्वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण का समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाना**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रारूप, अन्तर्वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण का समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा परिणामों का अनुवर्तन

**141. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों और सरकार द्वारा पर्याप्त चूक के रिकॉर्ड का रखरखाव**

प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखापरीक्षणीय सत्त्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों के संबंध में उचित रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा ताकि की गई कार्रवाई की मानीटरिंग की जा सके और अनुवर्ती कार्रवाई को बनाए रखा जा सके।

सरकार उन प्रणालियों और क्रियाविधियों को स्थापित और कार्यान्वित करेगी जो लेखापरीक्षा द्वारा संसूचित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर पर्याप्त, रचनात्मक और सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करती हो।

**142. सरकार तथा विभागाध्यक्ष को प्रमुख अनियमितताओं की सूचना और उनकी रिपोर्टों का भेजा जाना**

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), लेखापरीक्षा में पायी गई प्रमुख अनियमितता के प्रत्येक दृष्टांत की सूचना दृष्टांत के लेखापरीक्षा के ध्यान में आने के समय से यथा संभव शीघ्रता से विभागाध्यक्ष को उसकी प्रति सहित संबंधित विभाग के सचिव को एक विशेष प्रबन्धन पत्र के माध्यम से देगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसे सभी दृष्टांत निर्धारित ढंग से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी सूचित करेंगे।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रमुख अनियमितता की सूचना पर, सरकार प्रथमतः तथ्यों की जांच करेगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उसकी सूचना की प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर तथ्यों की पुष्टि अथवा उनसे इन्कार करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजेगी।

(3) जहां प्रारम्भिक रिपोर्ट में सरकार द्वारा प्रमुख अनियमितता के तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है, वहां सरकार प्रारम्भिक रिपोर्ट के दो महीने के अन्दर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को फिर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई उपचारी कार्रवाई तथा उस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को भी दर्शाया जाएगा।

(4) सरकार को प्रमुख अनियमितताओं की रिपोर्टिंग को समर्थित साक्ष्य के संदर्भ में समुचित जांच और जहां तक सम्भव हो लेखापरीक्षणीय सत्त्व के मत पर विचार करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके से केवल प्रमुख अनियमितताएं ही सूचित की जाएं।

**143. लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

जहाँ लेखापरीक्षा प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिमों का उल्लेख करती है, वहाँ विभाग ऐसी चूकों का

पता लगाने के लिए और पता लगाये गये ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

#### **144. विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना**

विभाग, एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर लेखापरीक्षा को भेजेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक संसद अथवा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल स्वीकृत पैराग्राफों के संबंध में वसूलियों सहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे शामिल होंगे।

#### **145. लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना और उनका गठन**

(1) सरकार बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा उनके अनुपालन और निपटान सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना कर सकती है। इस तरह स्थापित प्रत्येक समिति में प्रशासनिक विभाग और लेखापरीक्षा में से एक-एक प्रतिनिधि तथा लेखापरीक्षणीय सत्त्व के विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त वित्त विभाग से एक नामिती होगा। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के संगठनों के मामले में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए मंत्रालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से राज्य स्तरीय लेखापरीक्षा समिति नामित कर सकता है।

#### **146. लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में वार्षिक सार्वजनिक विवरण**

प्रत्येक विभाग का प्रमुख प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही में नियमित रूप से अद्यतित विभाग/मंत्रालय की वेबसाईट पर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा

(क) पिछले वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) में शामिल किए गए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/ पैराग्राफों की संख्या तथा सार;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सूचित की गई प्रमुख अनियमितताओं की संख्या तथा सार;

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई;

(घ) पिछले वर्ष के दौरान जारी (देखें विनियम 136) की गई ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों आदि की संख्या तथा पर्याप्त धन मूल्य वाली और गंभीर आंतरिक नियंत्रण चूकों वाली अभ्युक्तियों का सार।

#### 147. विधान मण्डल के पटल पर रखने के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजना

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सरकार के सचिव, वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग, जैसा मामला हो, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजेंगे जो आगे की कार्रवाई और संसद या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक को प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को भेजी जाएगी जो उसे संसद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे।

(2) साथ ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक हस्ताक्षरित प्रति भारत के राष्ट्रपति के सचिव या राज्य या विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को यह सूचित करते हुए भेजी जाएगी कि आवश्यक प्रतियां वित्त मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई हैं।

#### 148. प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार के सचिव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संसद या विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, में प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के बाद सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजेंगे।

#### 149. लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति को प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी तैयार करना

संबंधित विभाग की सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) पर स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई टिप्पणी (टिप्पणियां) करेंगे जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए शामिल किया गया है। प्रत्येक मामले में, स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई टिप्पणी पर सचिव का अनुमोदन होगा और इसमें उल्लेख होगा कि:

(1) क्या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को लिखित उत्तर भेजा गया था और यदि नहीं तो ऐसा न किए जाने के कारण;

(2) क्या लेखापरीक्षा पैराग्राफ में दर्शाए गये तथ्य और आंकड़े स्वीकार्य है और यदि नहीं, तो सचिव द्वारा मसौदा पैराग्राफ प्राप्त होने पर इस ओर इंगित न करने के कारण;

(3) परिस्थितियां जिनमें हानि, विफलता, निष्फल व्यय आदि, जैसा कि लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताया गया, किस कारण से हुए (क) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सहित वर्तमान प्रणाली में कमी, (ख) प्रणालियों तथा क्रियाविधियों का अनुपालन करने में विफलता या (ग) पर्यवेक्षण स्तरों के व्यक्तियों सहित

व्यक्तियों की विफलता;

(4) हानि, विफलता, निष्फल व्यय आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए की गई कार्रवाई और सम्भावित समय सीमा जिसके अन्दर ऐसी कार्रवाई पूर्ण होने की आशा है;

(5) लेखापरीक्षा पैराग्राफ में यथा उल्लिखित सरकार को प्राप्य किसी राशि की वसूली की वर्तमान स्थिति;

(6) लेखापरीक्षा पैराग्राफ में दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई;

(7) ऐसे अन्य समान मामलों की समीक्षा के परिणाम और की गई कार्रवाई;

(8) प्रणालियों को कारगर बनाने और प्रणाली की कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए तथा भविष्य में ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारी कार्रवाई; तथा

(9) ऐसी अन्य सूचना जो लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित की गई हो।

#### **150. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लोक लेखा समिति अथवा लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों और उत्तरों की संवीक्षा**

संघ, राज्यों तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में जहां विधायी समितियां अथवा सरकार यह चाहती है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, टिप्पणियों और उत्तरों की संवीक्षा करे, वहां निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी:

(1) सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव, उचित रूप से संदर्भित तथा संयोजित सुसंगत फाइलों तथा दस्तावेजों, जिन पर स्वतः स्पष्ट टिप्पणी तैयार की गई है, के साथ ड्राफ्ट स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी की दो प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को संवीक्षा के लिए भेजेंगे। ऐसा ऐसी समय अवधि के अन्दर किया जायगा, जैसाकि लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय अनुसूची की आवश्यकताओं के सुसंगत पाया जाए;

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) यथासम्भव शीघ्र, परन्तु एक माह के बाद नहीं, विधिवत संवीक्षित कर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी सचिव को वापस करेंगे। लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम

समिति द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाओं के अध्यक्षीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षित टिप्पणियों में आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल किए जा सकते हैं;

(3) सचिव संवीक्षित टिप्पणी की प्रतियों की अपेक्षित संख्या, जैसा लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति के सचिवालय को भेजेंगे और वित्त मंत्रालय अथवा वित्त विभाग, जैसा भी मामला हो तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रत्येक को एक-एक प्रति भी अग्रेषित करेंगे;

(4) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सचिव ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में जिसे लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति निर्धारित करे, समिति को प्रस्तुतीकरण के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी के रूप में सरकार की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करेंगे।

(5) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया उचित रूप से संदर्भित तथा संयोजित सुसंगत फाइलों तथा दस्तावेजों के साथ संबंधित समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व संवीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजी जाएगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षा टिप्पणियां, लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति को भेजे जाने वाले प्रत्युत्तर में विधिवत प्रदर्शित की जाएंगी।

#### **151. समय से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों तथा क्रियाविधियों हेतु सरकार का कर्तव्य**

सभी स्तरों पर अन्य बातों के साथ-साथ भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्टतया परिभाषित करते हुए ऐसी पर्याप्त तथा विश्वसनीय प्रणालियों तथा क्रियाविधियों की स्थापना तथा प्रवर्तित करना सरकार का कर्तव्य होगा जो यह सुनिश्चित करती हैं कि (i) ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर (ii) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल मामलों पर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणियां, और (iii) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रत्येक मामले में निर्धारित समय सीमा के अन्दर उचित अधिकारियों को भेजे जाते हैं।

#### **152. सरकार को विलम्ब के मामले में सूचित करना**

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संघ सरकार के मामले में सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय को तथा राज्य सरकार के मामले में मुख्य सचिव को और विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में प्रशासक को विलम्ब के मामले में सूचित करेंगे। विलम्ब के मामलों पर भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से टिप्पणियाँ की जा सकती हैं।

**153. लेखापरीक्षा साक्ष्य का अर्थ और लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ उस की भागीदारी**

लेखापरीक्षा साक्ष्य लेखापरीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विश्वास किए गए आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों को इंगित करता है। लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी सूचना जो ये समीक्षा करने में सहायता करे कि क्या विषय वस्तु लागू मानदंडों का अनुपालन करती है, को लेखापरीक्षा साक्ष्य माना जाता है। लेखापरीक्षा परिणामों को सूचित करते समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रतिवेदनों के अन्दर लेखापरीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों के समर्थन में ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य शामिल कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जाए। कामकाजी पेपर के रूप में रखे गए और अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शामिल न किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों को, लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर, लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ साझा किया जा सकता है।

**154. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन के लिए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त किया जाना**

लेखापरीक्षा अपने मत अथवा निष्कर्षों के समर्थन के लिए सक्षम तथा विश्वसनीय लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करेगा।

**155. आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों की आवश्यकता तथा उनपर अभिगम**

लेखापरीक्षा जांच तथा साक्ष्य के लिए अपेक्षित आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों का प्रारूप, प्रकार और विस्तार लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इन विनियमों में यथावर्णित डेटा, सूचना, दस्तावेजों और सूचना प्रणालियों तक अभिगम दिया जाएगा। आंकड़ों, सूचना और दस्तावेजों में वे भी शामिल होंगे जो लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त किए गए हैं और अपने कार्यों के निष्पादन में इन पर निर्भर रहा है। यदि ऐसे तीसरे पक्ष का साक्ष्य, जिन पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व निर्भर रहा, लेखापरीक्षा में अपर्याप्त पाया जाता है तो महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के पूर्वानुमोदन से लेखापरीक्षणीय सत्त्व से लेखापरीक्षा द्वारा अतिरिक्त सूचना की मांग की जा सकती है। ऐसी मांग की प्राप्ति पर उसे लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त किया जाएगा और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ मामलों में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की स्वीकृति के साथ, तीसरे पक्ष से जानकारी, उदाहरण के लिए बैंक पुष्टि आदि को सीधे लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

**156. लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किये जाने वाले साक्ष्य के प्रकार**

साक्ष्य कई रूप में हो सकते हैं, जैसे संव्यवहारों के इलेक्ट्रॉनिक और पेपर रिकॉर्ड, बाहरी लोगों के साथ लिखित और इलेक्ट्रॉनिक सूचना, तस्वीरें, विडियो, सर्वेक्षण या अध्ययन के परिणाम, लेखापरीक्षक द्वारा अभ्युक्तियां और लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा मौखिक या लिखित गवाही।

लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षणीय सत्त्व के आन्तरिक स्रोतों के और बाह्य स्रोतों के साक्ष्य पर निर्भर कर सकते हैं।

#### **157. प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण सहित साक्ष्य के लिए पद्धतियाँ तथा तकनीकें**

लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों में भौतिक निरीक्षण/संयुक्त भौतिक निरीक्षण, अवलोकन, पूछताछ, पुष्टि, पुनर्गणना, पुनः निष्पादन, विश्लेषणात्मक क्रियाविधि और/या अन्य अनुसंधान तकनीक शामिल हैं। लेखापरीक्षा में अन्य आईटी सहायता प्राप्त डेटा विश्लेषिकी और तकनीकों और अन्य आईटी उपकरण का उपयोग किया जा सकता है जो साक्ष्य के संग्रहण और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो। जैसे भी उचित हो, लेखापरीक्षा रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) हवाई सर्वेक्षण और अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित तकनीक का भी उपयोग कर सकती है।

#### **158. साक्ष्य बनने वाले डेटा, सूचना तथा दस्तावेजों का सत्यापन**

जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षा की जाए वहाँ लेखापरीक्षणीय सत्त्व साक्ष्य बनने वाले डेटा, सूचना तथा दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।

#### **159. लेखापरीक्षा के अनुरोध पर भौतिक सत्यापन आयोजित करना**

जहाँ आवश्यक हो, वहाँ लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षणीय सत्त्व से अपेक्षा की जा सकती है कि लेखापरीक्षा अधिकारी की उपस्थिति में भण्डार/मालसूची/स्टॉक, परिसम्पत्तियों, चालू पूंजीगत कार्यो सहित पूंजीगत कार्यो, किसी रूप में सेवाओं और डिलीवरेबल्स का भौतिक सत्यापन किया जाए। ऐसा कोई भी अनुरोध महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्त

**160. लेखाओं के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ**

संघ तथा राज्य सरकारों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 तथा अधिनियम की धाराओं 10 से 12 तथा 23 में निर्दिष्ट किये गये हैं।

**161. लेखाओं के संबंध में संविधान के प्रावधान**

(1) संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों और अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अन्तर्गत निहित किए जाए।

(2) संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अनुसार, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर विहित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' एक व्यापक अर्थ रखता है ताकि इसमें न केवल वृहत प्रारूप, जिसमें लेखे रखे जाने हैं, का निर्धारण हो बल्कि उचित शीर्ष, जिनके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किए जाने हैं, के चयन करने का आधार भी शामिल हो।

**162. लेखाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधान**

(1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा राजकोष, कार्यालयों या विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भेजे गए प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से संघ और प्रत्येक राज्य तथा विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लेखाओं का संकलन करने और उनके संबंधित लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। संघ राज्य क्षेत्रों सहित संघ के मामले में राष्ट्रपति तथा राज्य के मामले में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से राज्यपाल, नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद आदेश द्वारा संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ के या राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ अथवा राज्य की किसी विशेष सेवा या विभाग के लेखाओं के संकलन अथवा रखने के उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त कर सकते हैं।

(2) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उन लेखाओं, जहाँ कहीं उत्तरदायित्व उनके पास है, को राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जहाँ वह उन लेखाओं के संकलन या रखने के लिए जिम्मेदार हैं और जहाँ तक ऐसा करने के लिए वह समर्थ हैं, संघ सरकार या राज्य सरकार या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, को समय-समय पर अपेक्षित सूचना देंगे या सहायता प्रदान करेंगे।

(4) अधिनियम की धारा 23 सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है।

### 163. सरकारी लेखे रखने के सामान्य सिद्धान्त

(1) अधिनियम की धारा 23 के प्रयोजन हेतु, सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 सरकारी लेखे के सामान्य सिद्धान्तों के रूप में मानी जाएगी।

(2) सभी सरकारी विभागों से सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा के दौरान यह जांच करना लेखापरीक्षक का कर्तव्य है कि क्या इन सिद्धान्तों का सभी सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

### 164. लेखाओं का प्रारूप

(1) राजकोष तथा लोक निर्माण मण्डलों द्वारा लेखाओं के रखरखाव तथा प्रस्तुत करने से संबंधित विस्तृत नियम, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से अथवा उनके द्वारा जारी खजानों की लेखाकरण नियमावली तथा लेखा संहिता खण्ड III में सन्निहित हैं। प्रारूप जिसमें डाक विभाग और अन्य तकनीकी विभागों द्वारा आरम्भिक और सहायक लेखे रखे और भेजे जाएंगे, से संबंधित विस्तृत नियम तथा निर्देश संबंधित लेखा नियम पुस्तकों या संबंधित विभाग से संबंधित विभागीय विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।

(2) सरकारी प्रतिष्ठानों तथा कम्पनियों को छोड़कर स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों से संबंधित लेखाओं का प्रपत्र नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। संघ सरकार के स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से सरकार द्वारा एक सामान्य प्रपत्र निर्धारित किया गया है। पत्तन न्यासों, जिनके लिए अलग प्रपत्र लागू है, जैसे कुछ प्राधिकरणों को छोड़कर यह सामान्य प्रपत्र सभी स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों पर लागू होता है। राज्यों के स्वायत्त निकायों के लिए राज्य सरकारें भी संघ सरकार के स्वायत्त निकायों पर लागू सामान्य प्रपत्र अपना सकती हैं।

(3) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्रपत्र संघ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अनेक राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है।

### 165. सरकार के लेखाकरण मानकों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

- (1) भारत सरकार के समर्थन से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में सरकारी लेखाकरण मानक परामर्शी बोर्ड की स्थापना की गई है। सरकारी विभागों तथा संगठनों में लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को तैयार एवं प्रस्तावित करने का उत्तरदायित्व बोर्ड को सौंपा गया है।
- (2) बोर्ड की अध्यक्षता उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है और सदस्यों के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, राज्य वित्त सचिव, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई के लेखाकरण अध्यक्ष होते हैं।
- (3) सरकारी लेखाकरण मानक परामर्शी बोर्ड को, रोकड़ लेखाकरण को उपचय लेखाकरण में बदलने के लिए रूपरेखा और खाका तैयार करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- (4) बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा अधिसूचित मानक भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।
- (5) गसब द्वारा अनुमोदित लेखांकन मानकों की प्रतिक्रिया पूर्ण बोर्ड द्वारा इसकी मंजूरी के तीन महीने के अंदर वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी।

### 166. लेखाकरण सूचना की सामयिकता, यथातथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करना

- (1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रभावी रूप से लेखाकरण कार्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार को आंतरिक नियंत्रण सहित प्रणालियां स्थापित करने और लागू करने की आवश्यकता है जिससे सभी प्रारम्भिक लेखाकरण इकाइयां लेखा कार्यालय द्वारा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक सूचना भेज सकें और भेजी गई सूचना यथातथ्य और पूर्ण हो।
- (2) विशेष रूप से, लेखांकन सूचना उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणालियों के मामले में, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस तरह की जानकारी की अखंडता, गैर-जवाबदेही और विश्वसनीयता को पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से बनाए रखा जाए।
- (3) अधिनियम की धारा 18(1)(क) को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और राज्य के लेखाओं के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है, जिसमें कोषागार सहित, आंतरिक नियंत्रण पर आश्वासन प्राप्त करना है। इस तरह के निरीक्षण का उद्देश्य सामान्य वित्तीय नियंत्रण की स्थिति का निर्धारण यह देखने के लिए होगा कि सहायक रिकॉर्ड जिस पर इस तरह के लेखा आधारित हैं को निर्धारित रूपों में ठीक से बनाए रखा जाता है, क्या ये सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं और वित्तीय नियम और आदेशों तथा उनकी तैयारी और रखरखाव का अवलोकन किया जाता है।

**167. अन्य अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अथवा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अधिकार का प्रयोग**

इन विनियमों के अधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) या महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रयुक्त कोई अधिकार उनके किसी वरिष्ठ अधिकारी या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।

**168. अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए विनियम लागू न होना**

ये विनियम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले लेखापरीक्षा या लेखा से संबंधित किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कार्य पर लागू नहीं होंगे।

**169. सामान्य या विशेष आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी करने की शक्ति**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कोई सामान्य या विशेष आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी कर सकते हैं।

**170. विभिन्न आदेशों का अन्तरसंबंध**

अपने अधिदेश को पूरा कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विभिन्न प्रकार के आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी करते हैं। ये स्थाई आदेशों, मार्गनिर्देशों तथा प्रैक्टिस नोट्स जैसा कि विनियम 2 में परिभाषित है, के रूप में वर्गीकृत हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों का पदानुक्रम विनियम, स्थाई-आदेशों/मार्गनिर्देशों तथा प्रैक्टिस नोट्स के क्रम में होगा। स्थाई आदेश, मार्गनिर्देश तथा प्रैक्टिस नोट्स इन विनियमों के सुसंगत होने आवश्यक हैं।

**171. संदेह का निवारण**

इन विनियमों में से किसी की व्याख्या के बारे में जहाँ कोई संदेह उत्पन्न होता है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

**172. आशोधित या शिथिल करने की शक्तियां**

इन सम्पूर्ण विनियमों को या उनके कुछ भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आदेशों के अन्तर्गत आशोधित किया जा सकता है। इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शिथिल भी किया जा सकता है।

### 173. विद्यमान आदेशों का जारी रहना

भविष्य में स्थायी आदेश, मार्गनिर्देश तथा प्रैक्टिस नोट्स इन विनियमों के अधीन जारी किए जाएंगे और वे इन विनियमों के संगत होंगे। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से पहले से जारी स्थायी आदेश, मार्गनिर्देश तथा प्रैक्टिस नोट्स उनके संशोधित, रद्द अथवा आशोधित होने तक इन विनियमों के जारी होने की तारीख से तत्काल पूर्व की स्थिति की तरह ही लागू रहेंगे।

---

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)